(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Home Affairs Notification S.O. 404 (E) dated the 4th April, 2003, notifying the Constitution of the Review Committee, under section 63 of the Prevention of Terrorism Act, 2002. [Placed in Library. *See* No. L.T. 7578/03]

MOTION FOR ELECTION TO THE CENTRAL SILK BOARD

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा आर. पाटील) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि :-

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 5 के उपनियम (1) के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से, जैसा सभापति निदेश दे, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Faulty Public Distribution System

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : आदरणीय सभापति महोदय, मैंने इस पर अपना वक्तव्य सदन में रख दिया है और मैं सोचता हूं कि जब सारे मैम्बर्स बोल लेंगे-तो इस पर ठीक से जवाब देने का मौका मिलेगा। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ...

श्री सभापति : आप उसको पढ़िए। जो वक्तव्य दिया है, उसको पढकर सुनाइए।

श्री शरद यादव : महोदय, यह जो पी.डी.एस. इस देश में कई वर्षों से चला आ रहा है, किसी की भी सरकार रही हो, यह सिस्टम किसी न किसी रूप में चालू रहा जबकि सिस्टम में ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : ये कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री शरद यादव : मैंने इसे छोटा बनाया है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं... जो वितरित किया गया है, वह पढ़िए।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली उचित मूल्यों पर जनता को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने हेतु सरकार की नीति के प्रमुख तंत्र के रूप में उभरी है। यह गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण घटक है और इसका उद्देश्य गरीबों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करना है। 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना बिना किसी विशिष्ट लक्ष्य के सामान्य तौर पर सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थी। इसके बाद जून, 1992 में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें आदिवासी, पहाड़ी, सूखा प्रवण और दूर-दराज के क्षेत्रों में 1775 ब्लॉकों को कवर किया गया था।

तत्कालीन लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की सेवा करने में विफल रहने, शहरों की ओर इसका झुकाव होने, जिन राज्यों में ग्रामीण आबादी अधिक थी, उनमें नाममात्र की कवरेज होने और सुपुर्दगी की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव होने के लिए आलोचना की गई थी।

गरीबों और कमजोर परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही और लक्षित करने के लिए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गरीबों की पहचान करने, उचित दर दुकानों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने और उचित दर दुकान स्तर पर पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से इनके वितरण की पुख्ता व्यवस्था तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह के लिए पात्र था। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 6.25 करोड़ परिवारों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन योजना आयोग के राज्यवार गरीबी अनुमानों (1993-94) के आधार पर किया जाता है।

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं।)

4.75 लाख उचित दर दुकानों के नेटवर्क के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली शायद विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिवार की खाद्यान्नों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने की बात नहीं कही गई है। यह प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली करने और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की पहचान करने, राशनकार्ड जारी

करने तथा सार्वजनिक प्रणाली के उपभोक्ताओं, विशेषरूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को देश मे उचित दर दुकानों के लिए विशाल नेटवर्क के माध्यम से खाद्यान्नो का वितरण करने के लिए जिम्मेदार है।

जून, 1997 मे लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुप्रवाही बनाया गया है ताकि इसे गरीबों पर और केन्द्रित किया जा सके। जारी की जाने वाली मात्रा जो 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह थी उसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जारी की जाने वाली मात्रा को भी 1.4.2002 से तुलनात्मक रूप से ऊंची दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह निर्धारित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम और 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम हैं जो आर्थिक लागत का 48 प्रतिशत है। ये मूल्य 25.7.2000 से स्थिर हैं इनमें पिछले ढाई साल से कोई वृद्धि नहीं की गई है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए 25 दिसम्बर, 2000 को अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है। इस योजना में भारत सरकार की यह वचनबद्धता परिलक्षित होती है कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अगले पांच वर्षों में भारत को भुखमरी से मुक्त किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में निर्धनतमो की सेवा की जा सके।

अंत्योदय अन्न योजना मे एक करोड़ परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से) की पहचान करने की परिकल्पना की गई है जिन्हें 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए जारी की जाने वाली मात्रा 1.4.2002 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह है। अंत्योदय अन्न योजना देश भर में सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दी गई है।

माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले स्वतंत्रता दिवस, 2002 को पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन विहीन वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों जैसे समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों के बीच व्याप्त भुखमरी को समाप्त करने की एक पहल की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरूप अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से और 50 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा जिससे वर्ष 2003-2004 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के लगभग एक चौथाई को योजना के तहत कवर कर लिया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना के विस्तार करते हुए इस के अधीन लाए जाने वाले अतिरिक्त परिवारों की पहचान करते समय अकिंचन व्यक्तियों को प्राथमिकता समूह के रूप में कवर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन अकिंचन व्यक्तियों में विधवाएं/असाध्य रुग्ण व्यक्ति/अपंग व्यक्ति/60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के व्यक्ति/आदिम आदिवासी समूह शामिल हैं।

जून, 1997 मे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किए जाने के बाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी परस्त बन गई है। क्योंकि गरीब परिवारों को अंतरित होने वाली खाद्य राजसहायता बढ़ गई है। शहरों की ओर इसके झुकाव को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है । इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो द्वारा उठान मे अत्यधिक वृद्धि हुई है और 2002-2003 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुल उठान में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

तथापि, इतनी विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन मे कुछ कमियां देखी गई हैं। उचित दर दुकानों का अनियमित रूप से खुलना, उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की अपर्याप्त उपलब्धता/अनियमित आपूर्ति, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित से अधिक संख्या मे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान किया जाना, जाली राशन कार्डों की मौजूदगी और खाद्यान्नो तथा अन्य वस्तुओं का तदनुरूपी विपथन होना, उचित दर दुकानो की आर्थिक आत्मनिर्भरता की खराब स्थिति आदि कुछ प्रचालानात्मक समस्याएं हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन मे पेश आई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुशलता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसमे सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इन मुद्दो को हल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं :-

उचित दर दुकानो की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों से प्रभावित हुई थी कि खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य केंद्रीय निर्गम मूल्य से प्रति किलोग्राम 50पैसे से ऊपर नहीं होने चाहिए। यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है जिससे उचित दर दुकानो की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए उचित दर दुकानो के मालिकों के लिए पर्याप्त मार्जिन निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे उचित दर की दुकानों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओ के अलावा अन्य वस्तुएं भी बेचें और इस प्रकार इन दुकानों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ाएं।

नवम्बर, 1997 में भारत सरकार द्वारा एक मॉडल सिटिजन चार्टर राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु जारी किया था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुएं पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से उपभोक्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुंच सके। जून, 1999 में राज्य सरकारों को सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में और अधिक पारदर्शी/जवाबदेह वितरण प्रणाली लागू करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकाधिक रूप से शामिल करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए विभिन्न स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और लाभभोगियों को शामिल करके सतर्कता समितियां गठित की जानी हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने और पहले जारी किए अनुदेशो/दिशा निर्देशों को कानूनी बल प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 भी अधिसूचित किया है। अनियमितताओं को रोकने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना का

निरीक्षण/मानीटरिंग करने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्य बलो का गठन किया गया है। कार्य बलों द्वारा बताई गई कमियां उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को सूचित की जाती है।

उपर्युक्त उपायों के क्रियान्वयन से दुकानों के न खुलने, आपूर्ति की उपलब्धता, जाली राशन कार्डों और खाद्यान्नो आदि का विपथन होने से संबंधित कमियों की समाप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित सभी संगठनो/व्यक्तियो आदि की यह जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओ, विशेष रूप से गरीब और कमजोर उपभोक्ताओ की बेहतर सेवा करने के हित मे प्रणाली मे और सुधार करने के लिए कार्य करे।

श्री सुरेश पचौरी : उपसभापति महोदया, हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी भयावह हो गई और कितनी दोषपूर्ण है, इसका जिक्र मैं इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति के कथन से प्रारंभ करना चाहूंगा। महामहिम उपराष्ट्रपति 14 जनवरी, 2003 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक कार्यक्रम में गए थे। इसमें उन्होंने जो कहा है मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं :

"The Vice-President, Shri Bhairon Singh Shekhawat, today drew the attention of the National Human Rights Commission to the total collapse of the Public Distribution System. Expressing concern over starvation deaths, he further said, 'The PDS has totally collapsed. This is seriously affecting the Fundamental Rights of the poor.' Mr. Shekhawat said, any Government, which failed to protect the human rights, was not fit to govern the country."

यह ऑब्जर्वेशन इस देश के जाने-माने नक्षत्र महामहिम उपराष्ट्रपति जी का है। उपसभापति महोदया, दूसरी तरफ कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त खामियों और भ्रष्टाचार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा गया है कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ है। साथ ही इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि समूचे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में से अठारह फीसदी लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं हैं और पी.डी.एस. में व्याप्त खामियों और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट की थ्री मैम्बर्स की बेंच का जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें यह कहा गया है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है भूखों को अनाज देना। इसमें कहा गया है कि देश में भूख और कुपोषण से हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफ.सी.आई. के गोदामों में जरूरत से ज्यादा अनाज पड़ा है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह अनाज भूखे और मजलूम लोगों तक पहुंचे। ये जो तीन आब्जर्वेशन्स हैं, ये हमारे देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर इंगित करती हैं। कभी भी, कोई भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, किसी भी राज्य में रही हो, चाहे दिल्ली में केंद्र सरकार रही हो, प्रश्न यह है कि आज कुछ राज्यों में एक पार्टी की सरकार है तो कुछ राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार है। दिल्ली में कभी किसी एक पार्टी की सरकार

रही तो कभी किसी और की भी रही है लेकिन जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है, जिस उद्देश्य से इस सिस्टम को बनाया गया है तो मैं निश्चित रूप से यह मानकर चलता हूं कि इसमें सबकी सामूहिक जवाबदेही और जिम्मेदारी है। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए इसीलिए मैंने इस कॉलिंग अटेंशन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में यह उल्लेख किया है कि यह प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन आती है। बात सही है, लेकिन किसकी कितनी जिम्मेदारी है, इसको रेखांकित किया जाना बहुत आवश्यक है। केन्द्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, क्या केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन कर पा रही है और यदि नहीं कर पा रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और यदि जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं उठाया गया है। राज्य सरकारों के अधीन जो जिम्मेदारी आती है, उसका पालन किस वजह से नहीं हो पा रहा है, उसको भी रेखांकित कर उचित निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। आज समय यह नही है कि हम जिम्मेदारी से विमुख होते हुए एक-दूसरे पर दोषारोपण करें। केन्द्र सरकार कहे कि यह राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार कहे कि हमें खाद्यान्न ही ऐसा मिला जो कि सही नहीं था। खाद्यान्न फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए मिलता है और वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन है।'अगर राज्य सरकारों को सड़ा-गला अनाज मिलता है तो उसके लिए कौन दोषी है? नॉर्थ-ईस्ट रिजन में जो खाद्यान्न उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि चावल वहां के लोग खाते हैं और जब गेहूं वहां भेजा जाता है तो वहां के लोग उस गेहूं को नहीं उठाते हैं। नॉर्थ-ईस्ट रिजन के पूर्व संबंधित मंत्री श्री अरुण शौरी जी ने इस सदन में यह स्वीकार किया था कि नॉर्थ-ईस्ट रिजन में गेहूं भेजा जा रहा है जो कि उन्होंने लिफ्ट नहीं किया। जब वह गेहूं वहां लिफ्ट नहीं किया गया तो दिल्ली की दुकानों पर, बिचौलियो के हाथों और व्यापारियों के हाथों वह गेहूं बेचा गया और यह कह दिया गया कि नार्थ-ईस्टर्न रिजन ने वह नहीं उठाया। महोदया, इसके लिए कहीं न कहीं, कोई न कोई किसी न किसी रूप में जिम्मेदार है और यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, यह मेरा आपके जरिए आग्रह है। आज अनाज के विपुल भंडार होते हुए भी लोग परेशान हैं। यदि वे परेशान हैं और अगर वे किसी वजह से कुपोषण के शिकार होते हैं या खाद्यान्न की कमी की वजह से यदि वे लोग मरते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदेही उस लस्त-पस्त सरकार की होती है, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वहन नही कर पाती है। इसलिए महोदया, आपके जरिए मेरा आग्रह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम देश की सार्वजनिक वितरण पणाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सरकार को अपनी खरीद नीति, सरकार को अपनी भंडारण व्यवस्था, सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार का तालमेल बैठाया जाना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 5 दिसंबर, 2002 को यह कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने सदन में भी माना जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया कि इस स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है, इस बारे में हम इन सब बातों पर विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद, माननीय शरद यादव जी के स्टेटमेंट को मैं उद्धृत करना चाहूंगा ।

Shri Sharad Yadav admitted it and it was published in *the Times of India* on 6th December, 2002. Shri Sharad Yadav admitted and I quote, "The Task Force set up to identify the poor has found that foodgrains are not reaching the needy..." He further said that he had already written a letter to the Prime Minister and asked for a meeting of the Chief Ministers to discuss the issue.

महोदया, मैं आपके जरिए आदरणीय शरद यादव जी से जानना चाहूंगा कि जब आपने प्रधान मंत्री जी को इस संबंध में देश के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाने के लिए पत्र लिखा तो वह मीटिंग क्या आयोजित हुई? यदि नहीं हुई, तो इसके लिए कौन दोषी है? आपके लिखने के बावजूद भी यदि वह मीटिंग आयोजित नहीं की गई तो मैं यह मान कर चलूंगा कि केन्द्र सरकार या उसके शीर्षस्थ नेता प्रधान मंत्री जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको उन्होंने खुद स्वीकारा है कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, इसमें कुछ खामियां हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो वह सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं। मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा कि यदि राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक, इस सदन में एशोरेंस देने के बाद, इस सदन में आपके कथन के बावजूद भी नहीं बुलाई गई तो वह कब तक बुलाई जाएगी, इस संबंध मे मैं स्पष्ट रूप से आपका आश्वासन चाहूंगा।

महोदया, एक और बात है और वह यह है कि सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मामले मे कितनी गंभीर है। मिड डे मील स्कीम चालू की गई, इसके बारे मे 21 फरवरी, 2003 को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में खुद सरकार ने यह स्वीकार किया कि मिड डे मील स्कीम का काफी जो पैसा है वह ह्यूमैन रिसोर्स डिवेलपमेंट मिनिस्टरी की ओर बकाया है। इसलिए मिड डे मील स्कीम के तहत जो राशन दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा सका और फिर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा गया और वह पैसा अभी तक नही मिला है । इस तरह मामला तीन मंत्रालय के अधीन लटका हुआ है जो कि तीनो केन्द्र सरकार के हैं । तो कही-न-कही, कुछ-न-कुछ खामी इस एन0डी0ए0 सरकार की है । महोदया, उन्होने यह स्वीकारा है, सरकार कहती है कि "They have also informed that they have requested the Ministry of Finance to provide sufficient funds for the purpose, that is, the Mid-day Meal Scheme, to settle the outstanding payment." जब आउट-स्टेडिंग पेमेंट नही हो रहा है ...

श्री शरद यादव : महोदया, सुरेश पचौरी जी ने जो बात उठायी है, वह सही थी, लेकिन इस मामले का समाधान ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, फायनेंस मिनिस्ट्री और हमारे बीच में हो गया है । मिड डे मील स्कीम बंद नही हुई है । वह सुचारु रूप से चल रही है । इसमें निश्चित रूप से बीच मे दिक्कत आई थी । हमारे पास फायनेंस की बहुत कमी थी तो हम ने कहा कि हम दे नही पाएंगे । फायनेंस मिनिस्ट्री ने हम को कहा था। लेकिन वह मामला सार्ट आउट हो गया है । महोदया, मिड-डे मील स्कीम बंद नही हुई है, लगातार चल रही है ।

उपसभापति : मंत्री जी, बहुत सारा गेहूं सड़ जाता है, चूहे खा लेते हैं तो अगर उसे भारत के गरीब बच्चे खा लेंगे तो क्या हर्ज है?

श्री शरद यादव : महोदया, मैंने कहा कि इस स्कीम को कहीं बंद नहीं किया गया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You don't wait for money because if the poor children in the schools get these mid-day meals, it is a very ordinary thing. If the rats eat it, we don't mind; if it gets spoiled, we don't mind.

श्री शरद यादव : मैडम, आप बोल देंगी तो बात सभी जगह चली जाएगी ।

उपसभापति : मैंने इसीलिए कहा है ।

श्री शरद यादव : मेरी विनती है कि इस मामले मे जो डेडलॉक था, वह डेडलॉक ऐसा नही था कि उसकी वजह से कोई अनाज बंद किया गया । उसको सार्ट आउट किया गया है और वह स्कीम ज्यो-की-त्यो निरंतर चल रही है । इसलिए इसमें कही कोई दिक्कत नही आई है और न कोई ब्रेक आया है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

उपसभापति : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ब्रेक नही आया । मैंने आप की बात मान ली। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि चूहे खाने से तो बेहतर है कि उसे इंसान खा लें, बच्चे खा ले।

श्री शरद यादव : महोदया, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी डिबेट होनी चाहिए कि यह जो चर्चा चलती है कि कितना खाया । मैं उसके आंकड़े दे दूंगा । मैं उसका जवाब दे दूंगा । महोदया, हालात सुधरे हैं और बहुत तरीके से सुधरे हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, मैंने यह नही कहा कि मिड-डे मील स्कीम बंद हो गयी है । मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इस स्कीम के तहत जो मिलना चाहिए वह एच0आर0डी0 के जरिए नही मिल पा रहा है और एच0आर0डी0 ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है, उसे सरकार ने स्वीकारा है । सरकार ने यह 21 फरवरी, 2003 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर मे स्वीकारा है । मैं तो उसको पढ़ रहा हूं, अगर सरकार ने वह गलत बोला है तो मुझे कुछ नही कहना है और अब जो सरकार उसको कांट्रेडिक्ट कर रही है, तो भी मुझे कुछ नही कहना है । मैं तो दोनो पक्ष रख रहा हूं । हमारे आदरणीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और इस मामले मे बहुत सचेत हैं । मैं तो उन के प्रधान मंत्री जी जो समय-समय पर कहते आए हैं और जो उनके अन्य विभागो के मंत्री कहते आए हैं, उसी का उल्लेख कर रहा हूं । महोदया, मै तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंचार्ज मिनिस्टर श्री अरुण शौरी ने कहा है, जो 22.8.2001 को प्रकाशित हुआ था, उसको दे रहा हूं । महोदया, केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी यह भी बताते हैं

कि जहां जिस खाद्यान्न का चलन नहीं है, वहां के लिए वही आवंटित कर दिया जाता है । यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को चावल की बजाय गेहूं दिया गया था और पिछले कई साल से वह दिल्ली के बाजार में बिकता है । यह तो माननीय मंत्री जी की स्वीकारोक्ति है । महोदया, उस दोषपूर्ण व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? यह मैं आपके जरिए सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो घटिया राशन की आपूर्ति हो रही है, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राज्यों को दिया जाता है और यह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है । पिछले समय इन सारी बातों को खुद शांता कुमार जी ने स्वीकारा है कि घटिया राशन भेजा गया । वह घटिया राशन निकला तो उस के लिए कौन जिम्मेदार है, यह मैं आपके जरिए ध्यान आकर्षित करके जानना चाहूंगा ?

महोदया, मैं फिर अपनी बात पर आता हूं । प्रश्न यह नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कौन दोषी है ? महोदया, न हम पुराने समय में जाएं, न यहां दिल्ली की सरकार पर जाएं और न राज्यों पर जाएं, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जिन गरीबों को उस के आम उपयोग में आने वाली चीजें उपलब्ध करायी जानी चाहिए फिर चाहे वह गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे कैरोसिन हो या शुगर हो - वह पर्याप्त मात्रा में सही दाम पर उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है । इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जिन को भी आप दायित्व सौंपें यह आपका काम है, लेकिन हमारा काम यह है कि जिन गरीबों के लिए यह स्कीम प्रारंभ की गयी, चाहे वह टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्कीम शुरू की गयी, चाहे उससे पहले जो स्कीम चालू हुई, उन स्कीम का सही क्रियान्वयन होना चाहिए। केवल घोषणा न हो, क्रियान्वयन हो और क्रियान्वयन के जरिए यह देखा जाए कि जो इसके पात्र लोग हैं, उन लोगों को वे सारी चीजें मिली कि नहीं मिली।

महोदया, कोई भी सरकार होती है, चाहे वह किसी भी राज्य में होती है या दिल्ली में होती है तो वह फैसला तो करती है, लेकिन उसके क्रियान्वयन के बारे में यह बताया जाता है कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। वे व्यावहारिक कठिनाइयां क्या हैं? उन व्यावहारिक कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उन कठिनाइयों को दूर करके जो फैसले लिए जाते हैं उनको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। इस देश में 45 लाख से ऊपर राशन की दुकानें हैं और इन 45 लाख से ऊपर दुकानों से लगभग 20 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जाता है। स्वयं मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब जब यह सबसे बड़ा नेटवर्क है तो फिर इसमें खामियां क्यों नजर आ रही हैं? इसमें विरोधाभासी वक्तव्य क्यों आ रहे हैं? चाहे आपके वित्त मंत्री हों, चाहे खाद्य मंत्री हों, चाहे आपके ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के मिनिस्टर हों, उनके अलग अलग वक्तव्य नहीं आने चाहिएं। इस देश में 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और 50 प्रतिशत इनमें से ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से दिन-प्रति-दिन की इस महंगाई की मार में जो उनकी जीवन-शैली है उसका बोझ झेल रहे हैं। राशन की स्थिति यह है कि राशन की दुकान में एक वस्तु मिलती है, दूसरी वस्तु नहीं मिलती। कभी शक्कर लेने जाते हैं तो गेहूं नहीं रहता, गेहूं लेने जाते हैं तो चावल नहीं रहता। सारी चीजें एक साथ उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था जरूरी है। यह तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि यह राज्य सरकार का काम है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों की

जिम्मेदारी है। इसलिए केन्द्र सरकार यह निर्देशित करे कि वे सारी चीजे जो गरीब व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी हैं, एक समय मे उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए । यह नही होना चाहिए कि जब वह गरीब व्यक्ति अपनी मजदूरी छोड़ने के बाद राशन की दुकान पर कुछ चीजें लेने जाए तो उसे एक चीज उपलब्ध हो और दूसरी चीज उपलब्ध न हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आज मजबूत करने की जरूरत है।

उपसभापति : सुरेश जी, और भी माननीय सदस्य बोलने को हैं।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, इतना बड़ा वक्तव्य आया है और यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूषित व्यवस्था से पूरे देश के गरीब लोग उद्वेलित हैं, यह मामला उनसे जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी याददाश्त में इतना बड़ा वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने काल-अटेंशन में दिया, यह पहली बार है। इसलिए, महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के इतने बड़े वक्तव्य पर मुझे कुछ कहने का, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाए।

उपसभापति : इतनी बड़ी पीडीएस की स्कीम है दुनिया में। आपने खुद ही कहा है कि इतनी बड़ी स्कीम है पीडीएस की, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि और भी दूसरे माननीय सदस्यों को बोलना है। Then, we have to adjourn the House for lunch.

श्री सुरेश पचौरी : ठीक है, महोदया। मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहूंगा। देश का सबसे बड़ा भूभाग आज अकाल और सूखे की चपेट मे है। जिन राज्यों ने अकाल और सूखे से निजात पाने के लिए जिन चीजों की मांग की थी, वे उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जिन्होंने सूखे और अकाल की वजह से जिस जिस खाद्यान्न की मांग की थी, उन उन राज्यों को उतना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया या नहीं कराया गया? आज स्थिति यह है कि जिस राज्य का जितना दबाव पड़ता है उस राज्य को उतना खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता है। मैं किसी राज्य को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं यह कह रहा हूँ कि जिस राज्य की जितनी आवश्यकता हो उसे उसकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए। जिन राज्यों को दबाव के बावजूद अगर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है तो आपने टास्क फोर्स तो बनाई होगी? उस टास्क फोर्स के जरिए आपने क्या फीडबैक रखा? मैं यह जानना चाहूंगा। इसके साथ ही जो फूड लिफ्ट करने में करप्शन है या खाद्यान्न के डिस्ट्रीब्यूशन में जो करप्शन है उस करप्शन को दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? यह भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।

महोदया, दो-तीन बाते और कहना चाहूंगा। एक तो, आम आदमी के उपयोग में आने वाली जो चीजे हैं, उनका कृत्रिम अभाव कई बार राशन की दुकानों में दर्शाया जाता है और उनकी कीमतो मे भी बेतहाशा वृद्धि बताई जाती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि उचित समय पर उचित मूल्य की दुकानों से सही अवस्था में बगैर मिलावट के चीजें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगो को मिल पाएं, यह देखे जाने की जरूरत है।

महोदया, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और चूंकि माननीय मंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश में ही जन्म लिया है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 5-6 गांव में एक राशन की दुकान खोलने की आपसे मांग की थी और क्या उसके लिए उन्होंने कुछ ग्रांट की मांग सरकार से की थी? इस संबंध मे सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को ग्रेन बैंक बनाने का प्रपोज़ल दिया था। इस संबंध में भी सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उसे गेहूं, चावल, केरोसिन वगैरह पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो भयावह तस्वीर है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं सोचता हूं कि जो कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑब्ज़रवेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जरवेशन है, जो इस देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का ऑब्ज़रवेशन है, जो इस देश के प्रधानमंत्री जी का ऑब्ज़रवेशन है, उस दिशा मे कार्यवाही होनी चाहिए। स्वयं मंत्री महोदय ने पहल की है कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाकर एक ऐसी सुविचारित योजना बनाई जाए जिस पर अमल हो सके और जिसका लाभ उन गरीबों को मिल सके जिनके हितो को दृष्टिगत रखते हुए यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है। मैं समझता हूं कि यदि समय सीमा के अंदर यह कदम उठा लिया जाएगा तो वह उस बेहतरी की ओर बढ़ता हुआ कदम होगा जिसको दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है। महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri R.S. Gavai; absent. Shri A. Vijayaraghavan.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Thank you, Madam Deputy Chairman, for giving me an opportunity.

Madam, my friend, Mr. Suresh Pachouri, has already mentioned about the observations made by dignitaries, right from the apex court to the Vice-President of this country, with regard to the failure of the Public Distribution System in our country. Even though the Government is claiming about the achievements made by it during the last four years with regard to the increased foreign exchange reserves, National Highways, rail, etc., but it never claimed that they have succeeded to provide foodgrains to the needy people. Madam, in this very House, when we had discussed about the drought, the Agriculture Minister said, -- and, I quote - "The PDS is no more effective. It does not reach the tribal population and the weaker sections of society." This is what the Agriculture Minister has said here. Later, on 5th December, in this House, the Prime Minister himself said, "The Government has failed to tackle the situation." It was reported in *The Times of India*. I

quote, : "The Government has admitted that the country's Public Distribution System has failed to identify the poor and provide grains to the needy."

Madam, even after admitting this reality and approaching this House after five months, nothing much tangible has been done. The Government has to come forward with some concrete proposal to avoid this situation and create a confidence among the poor people that this Government will provide some additional support to the poorest section in our society, who are reeling under drought, poverty; and even starvation deaths are taking place. Unfortunately, this statement does not reveal anything for the poor.

Then, Madam, I would say that this is a man-made calamity. This is a calamity which has been created by the Government as such. Madam, as you said, this is the biggest Public Distribution System in the world. So, naturally, the Government should take serious steps to provide foodgrains to the poor and to sustain the System. Unfortunately, the Government took a reverse stand. What have we done? We started distribution of foodgrains to the targeted groups. That means, we divided the poor into groups, and we stopped the subsidy for the poorest section of our society. There was a hue and cry from different advisors, pro-rich advisors of this Government against the food subsidy. They said that this is the main hurdle in the development of this country, and the Government should cut the subsidy in food. The Government cut down the food subsidy. Now what happened? We cut down the subsidy at a time when we were distributing about Rs.9000 crores per annum. At that time, the issue price was very low. Then you increased the issue price; and then you divided them. Then there were different issue prices for the below poverty line and the above poverty line population. This system was introduced in 1997-98. For APL, issue prices were raised by 85 per cent and for wheat issue prices were raised by 65 per cent between 1998-99 and 2000-01. In 2001, BPL prices for wheat and rice were also raised by 66 per cent and 62 per cent. This has reduced the off-take heavily in these three years. It has left a huge stock of over 60 million tonnes in Government godowns, which was only 21.7 million tonnes in 1998. So, Madam, that is why there is a huge pile of food stocks in the FCI godowns. Then what happened to the off-take? The total off-take came down. With regard to this targeted off-take, in 1996-97, the allotment was 151 lakh tonnes and the off-take was 111.44 lakh tonnes. According to the Annual Report of the Ministry, upto October 2000, the allotment was

215.64 lakh tonnes and the off-take was 56.77 lakh tonnes. This is for rice. With regard to wheat, the allotment was 233.13 lakh tonnes and the off-take was a meagre 43.23 lakh tonnes. The State Governments are not taking the allotment. Why? The Central Government is blaming the State Governments. The reason is that the poorer sections of our society are not in a position to purchase foodgrains. Their purchasing power is going down because of your Government's economic policies. There is no work in the villages; there is no work for the agricultural labour, and they are not in a position to purchase whatever you are distributing through even BPL prices as such.

Now I come to Antyodaya Anna Yojana. Whenever there is poverty -- that is the advantage of this NDA Government -- they come up with the announcement of a programme -- big announcements. Only after the 'Anta', you are giving 'Anna'. Only after the death, you will provide 'Anna' for the 'died' people, not for the living creatures. Madam, this is a very serious issue. The problem is very serious. While announcing the Antyodaya Anna Yojana, the Government said that 1/4th of the total BPL population of our society would be covered by Antyodaya Anna Yojana. What was the amount of foodgrains distributed last year? It was only 1.5 million tonnes. How do you provide this meagre amount of foodgrains to this much of people? You should not make announcements. Whenever the Prime Minister's birthday comes -- now I am afraid of birthday -- your Government comes up with some such announcements, which are totally against the interest of the people. You should, at least, stop making such announcements. This is being very callous towards the most downtrodden, poor and the poverty-ridden people of this society. You should not do like that. After this fall in the off-take, the Government appointed Abhijit Sen Committee. This Committee came out with some good suggestions. I quote, "We are convinced that the main reason for the present situation are the high levels of minimum support price fixed during the nineties, and that a significant role was also played by the decision to target the entire food delivery system on the basis of poverty criteria. Besides political compulsions flowing from Andhra Pradesh, Haryana and Punjab, a significant part was played by two assumptions - that world prices of cereals were likely to be higher than Indian prices, and that there was significant scope to cut the fiscal involvement of the Central Government in the food security system. Both these assumptions proved false. Relatively high cereal prices and inadequate purchasing power among a significant

proportion of the population has kept consumption low." This is the report of a Committee appointed by this Government itself. Have you done something according to the suggestions made by the Committee? You have appointed a Committee, which has submitted its report, and you are keeping that report in a shelf and doing nothing. Madam, this is the situation. So, naturally, the Government has to change the existing policy with regard to the Public Distribution System which is being pursued by it. You have to change the policy. You are furnishing some papers having no value at all. So, you come forward with some concrete proposals. Madam, wherever the targeted system was introduced, whether it was in Sri Lanka, Mexico, Tunisia, Zambia or Zimbabwe, it has ended up doing more harm than good. So, the world experience is available with the Government. The Government should stop the targeting system and should provide foodgrains at a subsidized rates for all those who are needy in our country, whether they are urban poor or rural poor. That kind of approach should be adopted by the Government, which is lacking in this statement made by the hon. Minister here.

Then, Madam, FCI and the PDS system should be reformed. You are spending Rs. 24,000 crores for food subsidy. But, one-third of that subsidy is going for the procurement; one-third of that subsidy is going for storing the foodgrains and the poor gets only one-third of the total subsidy. If it is so, why do you raise this hue and cry for the subsidy? That itself revealed that it should be revamped. A new approach should be there. A proper approach should be there. Madam, in this country, 50 per cent of women and children are suffering from malnutrition, and nearly 36 per cent of them belong to the BPL. This fact also should be taken into consideration. You have a huge stock of foodgrains lying in the FCI godowns. So, think about the poor women and children who are suffering due to malnutrition. All over the world, the incidence of malnutrition is coming down, whereas, in our county, it is going up. This is the very tragic situation which is prevailing in this country. Use these foodgrains and do something for women and children of this country.

Thirdly, Madam, we have to increase the off-take. For this purpose, the Government has to come forward with a concrete programme for using these foodgrains lying piled up in the FCI godowns, provide employment to the poorer sections in the villages and link it up with the infrastructure development of this country rather than adding one rupee to the sale price of one litre of petrol. You have to do these things. Is there any Government

to do all these things? Unfortunately, the present Minister is just like an orphan among the NDA. That is the tragic thing. Mr. Minister, you should behave like a Minister. You should not look to the saffron people for anything. Do something here. You have to come to this House with some concrete proposals. *(Time-bell)* Madam, this should be considered very seriously. The Government has to come forward with a specific programme to provide employment to the rural poor, and also link up the excessive foodgrains with some concrete proposal for the infrastructure development scheme.

Finally, Madam, the Prime Minister had announced in this very House that he wanted to evolve consensus among various political parties with regard to the using of the excessive food stocks. You see, this year, there is another problem also. There has been a sharp fall in the foodgrains production in the country. Naturally, that will create some problem. Its ramifications would be there in future also. So, you have to provide foodgrains to the general public in India on par with the amount which you are paying for exporting foodgrains. The rate at which the foodgrains are being exported outside India, at that rate, the Government should provide foodgrains to the people in India. That itself is sufficient. Naturally, you have to think about all these aspects. Unfortunately, your statement does not reflect any of the concerns of the Prime Minister or the Chairman of this House or the Supreme Court or even the downtrodden people of this country. Some enlightenment should be there in the statement. After this discussion, the Government should come forward with a concrete proposal that they are going to change the policy. You have admitted that there was some problem. Since you have admitted it, you come forward with some new and concrete proposal. Ultimately, after you agree to it, come out with a new, concrete proposal, which would provide grain for the needy, instead of allowing the grains to rot in the godowns. You have to urgently call for a meeting of the political parties, discuss it with the Chief Ministers of the States, and when a consensus is reached, come out with a concrete proposal, and provide foodgrains to the needy at an affordable price. That is the minimum thing I want to say. I am expecting the hon. Minister to do something in this regard.

श्री अभय कांत प्रसाद (झारखंड) : उपसभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस देश में लगभग 36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वहां निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व है और इसे मजबूत

बनाने की भी आवश्यकता है। इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और मजदूर लोगों को बढ़ती हुई महंगाई और मुनाफाखोरी से मुक्ति दिलाई जा सकती है। महोदया, एक जमाना था जब हमें अनाज नहीं मिलता था। पीडीएस के माध्यम से, विदेशों से अनाज मंगाकर हम सप्लाई करते थे लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि इस देश के किसानों की मेहनत के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व के चलते आज करोड़ों टन अनाज गोदाम में पड़ा हुआ है। आज अनाज की कमी नहीं है जिसके कारण पहले पीडीएस की दुकानों में कालाबाजारी होती थी, अधिक दामों मे सामान मुहैया होता था और जिसके चलते गरीब लोगों को गेहूं, चावल नहीं मिल पाता था। आज केन्द्र सरकार की अच्छी नीति के कारण काफी सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी हमे और सुधार करने की जरूरत है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है और उसी के आधार पर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे सुधार कर सकते हैं। कई राज्यो में राज्य सरकारों की गलत नीतियो के कारण आज जरूरतमंद लोगो को इसका लाभ कम मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला 2002 में प्रकाश मे आया था। जब माननीय खाद्य मंत्री जी ने दिल्ली के मायापुरी FCI गोदाम का निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि करीब 62 हजार टन खाद्यान्न स्टाक में है। करीब 5700 टन अनाज चार से पांच साल तथा 10 हजार टन तीन से चार साल पुराना है, जो कीट नियंत्रक में भी नहीं रखा गया है। इस तरह से राजस्थान सरकार ने भी समय पर अपना कोटा नहीं उठाया जिससे गरीबों को सही समय पर अनाज नहीं मिल पाया। केन्द्र सरकार तो ...**(व्यवधान)**... राज्यों को अपनी व्यवस्था सुसंगठित, पारदर्शी एवं गतिशील करने के लिए बार-बार सचेत करती है। मगर कई राज्य सरकारो की ढुलमुल नीति के कारण इसका भार गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा जाती है। उपसभापति महोदया, मेरा सुझाव है कि माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना का जो लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले 15.33 प्रतिशत आबादी तक सीमित है इसकी सीमा को, इससे लाभान्वित होने वाले परिवारो की संख्या को दुगुनी कर दो करोड़ किया जाए जिससे इस योजना का लाभ देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिल सके। आज हम जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियां आई हैं, निश्चित रूप से इसमे सफलता का जो आकलन होना चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे हैं। हमे इसमे सुधार करने की जरूरत है। हमारे यहां झारखंड में लगभग चार महीने तक, बरसात के दिनो मे ब्लॉक हेड क्वार्टर्स से, जिला हेड क्वार्टर्स से संपर्क टूट जाता है। वहां कोआपरेटिव सोसायटी है लेकिन कोआपरेटिव सोसायटी के पास गोदाम नही है। गोदाम नही होने के कारण हम वहां गल्ला उठाकर नही रख पाते हैं। हम लोगो को समय पर अनाज मुहैया नहीं करा पाते हैं। उसी तरह से अभी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं उन्हें पच्चीस किलो गेहूं देने की व्यवस्था है। लेकिन होता यह है कि पूंजी के अभाव मे वे एक साथ गेहूं, चावल और केरोसीन नही खरीद पाते हैं। वहां पी.डी.एस. दुकानदार का प्रेशर रहता है कि एक ही बार मे गेहूं, चीनी, केरोसीन या सब कुछ उठाएं। अगर आप उठाते नहीं हैं तो वह माल लैप्स हो जाता है। मेरा सुझाव है कि सप्ताह मे चार या पांच बार उन्हे बारी-बारी से कभी गेहूं, कभी चावल या कभी केरोसीन लेने के लिए वक्त दिया जाए। इससे गरीब लोगो को काफी राहत मिलेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रत्येक कोआपरेटिव सोसायटी का अपना गोदाम हो और समय पर एलॉटमेंट मिले ताकि गरीब लोग इससे लाभान्वित हो सके।

इसी तरह से यह भी देखा जाता है कि दुकानदार को बहुत कम कमीशन मिलता है। इसके चलते इसमें बहुत गड़बड़ी होती है इसलिए कमीशन इस तरह का दिया जाए जिससे वह दुकानदार अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके और वह गड़बड़ी न कर पाए। उपसभापति महोदया, इस सिस्टम को निश्चित रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। आखिर जब तेरह हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है तो उसका परिणाम भी अच्छा आना चाहिए। इसी तरह से कहीं-कहीं राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है। कहीं-कहीं इसकी पूर्ति होती है। कई हजार करोड़ रुपयों की सब्सिडी केंद्र और राज्य के माध्यम से देने के बाद भी यदि छत्तीस करोड़ उपभोक्ताओं को, जिनके लिए यह योजना लाई गई है, अगर उन्हें इसका समुचित लाभ न मिले तो इस प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिए केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है जिससे इस प्रणाली को हम ठीक ढंग से लागू कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have got the names of seven speakers more, and we have to adjourn for lunch in five or six minutes. If everybody speaks a little brief and puts pointed questions, I think, we will be able to finish it faster. According to the rule, a Member should not take more than five minutes.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, Deputy Chairperson, the Calling Attention for the Public Distribution System, being an important issue, confronting the whole nation, we expected some more information. Anyway, I thank the hon. Minster for the information provided through the statement wherein he admitted about certain shortcomings. But, at the same time, I feel it is an incomprehensive one. In the statement submitted to this august House, he should have provided some more information. What is the total production in this country during the last year, and, out of that, what is the quantity procured by the Government? What was the opening stock during the last year, after procurement has taken place? What is the current situation regarding buffer stock? Information about all this has not been provided in the statement. Then, the second information, which we usually expect, is regarding storage capacity. What is the hired godown storage capacity? What is your own godown storage capacity? May I know whether you have proposed to construct godowns to see that the storage capacity is further enlarged? What is your proposal? All this should have been mentioned in the statement, but, it is not so.

1.00 P.M.

Another information which ought to have been provided in the statement is regarding the amount for food subsidy. The term 'food subsidy' is not exactly reflecting about consumer subsidy. That is an important thing. What is the component of the consumer subsidy out of food subsidy? How much we are spending for carrying stock? What is the interest payment we are paying for it? The exact percentage of the consumer subsidy, out of food subsidy, should have been provided in the statement. It has not been provided. This has come into force because the farmer should not be forced to resort to distress sale of his produce. The procurement centres, Food Corporation of India, state agencies, they want to purchase based on FAQ specifications. But after APL, BPL and AAY classification has come into existence, what is the allotment, or, the allocation made to the State Government, State wise? And, out of that allocation, how many States have lifted from the Central Pool? What is the quantity the State Governments have, from their own stock, supplied through the PDS system? This has not been mentioned. In that sense, it is inadequate. Then, for example, the Standing Committee on Food, Civil Supplies and the Public Distribution System have pointed out and I quote: "The Committee are constrained to know that out of food subsidy of Rs. 17,927 crore, only Rs. 3,611.05 crore has been spent on BPL people which comes to about 20 per cent only. "Fifty percent of the food subsidy should go to the BPL people". In the light of this observation, the current situation should have been reflected in the statement. I can't find a mention about it in the statement.

Another point is that, in paragraph 11 on page 3, it is stated, "The State Governments have also been advised to enlarge the basket of commodities to be sold through the FPS by adding non-PDS items for sale". Previously, there was some stipulation. The State Governments can charge only fifty paisa more than the price at which you supply to them. That is the stipulation. Now, you have removed that stipulation. You have given a free hand under the guise of viability of the Fair Price Shops. This will definitely create some anomalies.

Now, you have stated that the State Governments have also been advised to enlarge the basket of commodities to be sold through the FPS by adding non-PDS items for sale. Mr. Minister, do you know that in the

items sold through the Fair Price Shops, liquor is also included? Have you got any information? Have you pursued this issue? Do you think that liquor is also one of the essential commodities that the human beings consume? There are two types of FPS. One set of Fair Price Shops which are owned by the private people. Another set of Fair-Price Shops are run by the cooperative societies. The Fair Price Shops run by the cooperative societies are allowed to sell the liquor. Did you go into this issue? I don't want to identify the state.

In today's the Hindu business line, there is a report. What is the situation as regards the PDS? How does the procurement take place? I quote:

> "The RBI Governor has pointed out that one of the features of the year gone by was that due to lower foodgrains production and higher offtake of foodgrains, the Government stock of foodgrains declined from 54.5 million tonnes in March, 2002 to 36.2 million tonnes in March, 2003."

It means the buffer stock of foodgrains has been reduced. But it is not because of allocations made by the Centre. This decrease has happened only because of selling these foodgrains in the open market, not through the PDS. Therefore, what is the consequence? What is the impact of it? I quote:

> "Consequently, there was a decline in food credit of Rs.4,499 crore against an increase of nearly Rs.4,000 crore the previous year."

This is the situation. But the CAG has taken a different line. The expected wheat production is 73.5 million tonnes. This year the production is less. This is the statement of the traders. But we don't get any statement from the Government. What is its projection this year? How much is your expected rice production? How much is your expected wheat production? These are not mentioned in the statement. That is why I say it is not a comprehensive statement. There is a report in The Indian Express dated 25th April and I quote:

> "In its latest report tabled in Parliament on Thursday, the CAG cited a number of cases of storage shortages, inaccuracies in

measurement of moisture content and non-implementation of controls for timely payment to farmers."

In the Food Corporation of India the cases have increased from 572 in 1996 to 1,663 by the end of 2001. Why this type of increase in the cases next year? Therefore, what I say is that more information ought to be provided. This is incomprehensive statement. But, however, I appreciate the intention of the Government and congratulate the Government for this type of intention. But, I request that this intention of the Government should be translated into action. With these words, Madam, I conclude. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, there are six more speakers to speak on this matter. We adjourn for lunch for one hour and then we come back and complete. But, I would request the hon. Members to let the Minister has more chance to reply to the queries. So, if you put pointed questions, the reply will come like that. The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eight minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

उपसभापति : मुझे यह कहना है कि इस विषय पर जो लोग बोलने वाले हैं, वे जरा संक्षेप मे बोले क्योकि हमे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लेना है। You will have to be brief because there is constraint of time.

श्री गया सिंह (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने हिदायत दी है कि कम से कम समय में हम इस पर बोलें। महोदया, मैं ज्यादा समय नही लूंगा। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्री जी, डा. लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले हैं, वे कितनी दूर तक चलेंगे, यह तो मैं नही जानता लेकिन इस प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त करना इनके बस के बाहर की बात है। एक कहावत भी है कि सौ साल का कोढ़ एक साल में मंत्री जी कहां से निकाल देगे?

महोदया, केन्द्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सच्चाई यह है कि दोनो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। केन्द्र सरकार भी खानापूरी कर देती है। आपने ठीक ही कहा कि गेहूं सड़ रहा है, उसे चूहे खा रहे हैं और गांवो में लोग भूख से मर रहे हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका वह ठीक से वितरण करे लेकिन राज्य सरकार के लिए यह विभाग कामधेनु गाय की तरह है। चाहे वह किसी भी दल

की राज्य सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की हो या दूसरी पार्टियों की हो, सभी राज्य सरकारें इस मामले में बराबर हैं और केन्द्र सरकार भी लगभग बराबर है। महोदया, मैं 11 सालों से इस हाऊस में हूं। कांग्रेस की हुकूमत मैंने देखी है। काफी चर्चाएं हुईं। संयुक्त मोर्चे की भी सरकार बनी थी। संयोग से हमारे मंत्री जी के ही चेले उसमें भी मंत्री थे और हम लोग भी उनके साथ थे। उसको भी देखा और आज एनडीए की सरकार है,शरद जी उसके मंत्री हैं, उसके पहले दूसरे थे। मैं सिर्फ दो-तीन बातें आपसे कहना चाहता हूं। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, नीचे से ऊपर तक होता है। यह इतनी लाभदायक योजना है कि अगर इसका पचास प्रतिशत भी पूरा हो जाए तो इस देश मे भूख से मरने का सवाल ही नहीं है। इस देश के जो दलित हैं, जो गरीब लोग हैं, जो खेत मजदूर हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे किसी भी जाति के लोग हैं, अगर पचास प्रतिशत भी सही मामले मे लागू हो जाए तो इस देश की आज़ादी के 53 साल के बाद हम गर्व से यह कह सकते हैं कि हमारे देश में जो नारा पूर्वजों ने दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो रोटी, कपड़ा और मकान का जो सपना था, उसमें से कम से कम रोटी का सपना पूरा हो गया। लेकिन दुख इस बात का है कि सभी लोग आते हैं, हम सब भाषण देते हैं, हम लोग भी भाषण देते हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरद जी को मालूम है, वे गांवों में जाते हैं। गांवों में अभी भी जमींदारी है। भले ही जमींदार चला गया हो, जमीन नहीं है लेकिन राशन की दुकान कौन चलाता है, रंगदार चलाता है। उसके डर से कोई नहीं बोलता। वह हर चीज को ब्लैक करता है। उसमे जन-प्रतिनिधि लोग हिस्सेदारी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कौन-कौन लोग हैं लेकिन थाने के दारोगा से लेकर जिला आपूर्ति विभाग में कलैक्टर से लेकर सबका शेयर आज इस विभाग मे है। कोई बड़ा फंक्शन होता है, जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी को बुलाकर उसको जिम्मा दे दिया जाता है और थाने के नीचे के लेवल पर अगर कुछ हुआ तो जितने डीलर हैं, सब डीलर्स को कहा जाता है कि इतनी इतनी व्यवस्था करो, लोगों को भोजन खिलाने के लिए। आप गांव मे चीनी खोजिए, नहीं मिलेगी लेकिन ब्लैक मे खोजिए तो वही देता है और गरीब लोगों से ठप्पा ले लेता है क्योंकि गरीब के पास उतने पैसे भी नहीं है कि वह एक साथ राशन और सभी चीजों को ले सके। इसलिए इसका क्या उपाय हो सकता है? मंत्रीजी के स्टेटमेंट को मैं पूरा पढ़ रहा था। यह बहुत लम्बा स्टेटमेंट है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा तो मंत्री जी कहेंगे कि इसमें सुधार राज्य की जिम्मेदारी है, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन सड़ा हुआ गेहूं देने की जिम्मेदारी राज्य की नहीं है। पांच-पांच सालों से आपके गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, आप उसका रास्ता निकालिए। या तो आप उसको नीलाम कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप एक-डेढ़ साल का स्टॉक रखिए। आप पांच-सात साल का स्टॉक रखते हैं जिससे उसको चूहे तो खाते ही हैं, साथ ही साथ वह सड़ जाता है, उसमें से गंध आती है। फिर वह ऐसे ही बिक जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इसमें भाषण का सवाल नहीं है, जितना मैं जानता हूं, उतना आप जानते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आप मंत्री हैं लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सोशलिस्ट हैं, आप एनडीए में लाचारी से हैं। आप फिर यहां से जब जाएंगे तो यह भाषण देंगे। इसलिए मैडम आपको जो सवेरे इशारा कर रही थीं, उस पर आप कुछ बोलिए कि आप जितने दिन यहां हैं, कुछ सुधार अगर कर सकें तो वह करिए। मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं, केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि आप इस संबंध में क्या सुधार करेंगे? अगर पांच परसेंट, दस परसेंट सुधार करके आप लोहिया जी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आलोचना होगी। हम तो करेंगे ही, आपके लोग भी करेंगे कि आप ऐसे विभाग में रहकर ऐसा कर रहे हैं। दूसरे विभाग में थे तो मुझे भी लगता था कि वह विभाग आपके

लायक नहीं है, कहां प्लेन उड़ाइएगा, कहां आप लेबर डिपार्टमेंट में चले गये। किन्तु अभी जो डिपार्टमेंट है, वह आपके लायक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में बताइए कि आप इसमें कुछ सुधार करेंगे या नहीं। राज्य सरकार की बात छोड़ दीजिए, केन्द्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, उसको आप कहां तक निभाएंगे? धन्यवाद।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Madam, I rise to associate myself with the Calling Attention Motion on the faulty Public Distribution System. Now, when you look at the State-wise analysis of foodgrains lifted from the FCI under SGRY, it reveals that almost all the States have not lifted foodgrains fully from the FCI godowns. When the Committee on Urban and Rural Development, of which I am a Member, asked the Department the reasons for this, the answer was that in some States, the FCI did not have adequate godown facilities. In fact, out of 4.879 million tonnes of authorised foodgrains during 2002-03, only 2.910 million tonnes of foodgrains have actually been lifted. Moreover, the purchasing power of the BPL consumers, as also in terms of the financial resources available with State Governments, is highly inadequate. It is shocking that these grains are being sold to BPL families at higher rates than the market rates. We have entered a period of perennial drought, as has been said by many Members before me. Some States have had no rainfall for the last four years. So, it is not surprising that most rural households cannot afford to buy wheat at Rs.5 per kg. or Rs.6 per kg. An internal Government report submitted to the same Committee, to which Vijayji also referred, have pleaded that prices should go back to the pre-1996 period when the price of wheat was Rs.2.50 per kg. and that of rice was Rs.3.50 per kg.

It is indeed a sorry state of affairs that while thousands of people, in particular women, are being directly impacted by the inequities of the Food Distribution System, the Centre has foodstocks worth over Rs.6,000 crores lying waste. The ongoing harvest is going to add to the existing stocks. Now, sixty per cent of the subsidy is being spent on storage and carrying cost. The Government also has the Antyodaya Scheme covering 1.5 crores of the poorest of the poor families which has sold wheat at Rs.2 per kg. and rice at Rs.3 per kg. I would ask the hon. Minister: Why can't this be extended to all the poor families? Why should we make a differentiation between the poor and very poor? In fact, the same Committee also recommended that in a poor country like India, it does not make sense to make a differentiation between the poor and the very poor.

The Food Corporation officials agree that it is impossible to take care of the huge bufferstocks of wheat and rice. Thousands of tonnes are being kept out in the open, only covered by tarpaulin sheets.

Madam, thousands of rural women recently came to the capital to impress upon the Government that division of families into APL and BPL is faulty. Let there be a universalisation of distribution at Rs.2 per kg. True; this would cost the Government Rs.30,000 crores per annum. But the present subsidies are already costing the State Rs.25,000 crores, out of which 60 per cent is spent on storage and carrying cost. Now, the point to be noted is that if the Government can bring down the rates for corporates from 11 per cent to 9 per cent, then, this two per cent reduction in GDP is costing the Government Rs.40,000 crores. But business houses continue to owe banks huge amounts as loans. *Isn't it another form of subsidy?* Why should the rich be subsidised while the poor cannot afford even one square meal a day? The families, who are poor, as we know, do not have enough to eat. And, they become prone to different illnesses. Women and children suffer the most. Government health indicators show that malnutrition, anaemia and tuberculosis are rising in villages across Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra, and the Bimaru States are even worse off. There is a definite feminisation of poverty taking place. With no large scale employment schemes, women are being left with no choice. There is a huge increase in prostitution, trafficking of women and children amongst the poor. The women face tough decisions with no work in their villages, so on and so forth. In Haryana, thousands of women look after cattle for three to four years. In return for the labour, they receive only one-third the price of the animal and fodder stocks to be used for fuel.

Before I close, I also wish to add that the policy adopted by some States in violation of the National Population Policy that those people who have more than two children will be denied access to the Public Distribution System, is inhuman and unconstitutional. Which section of the society seeks access to the Public Distribution System? Obviously, it is the poor. Now, on the one hand, we are saying, "We want to include as many women as we want into this system". On the other, we are marginalising and, in fact, institutionalising the marginalisation of the poorest of the poor. It is being said that if all the foodgrains lying with the Government are piled up, it is high enough to reach the moon. Even if this is an exaggeration, there is no gain saying the fact that the present sorry state of affairs is due to the

complete lack of political will. Let the Government pledge that it is willing to tackle this problem on a war-footing so that after 55 years of independence, we do not have to hang our heads in shame that we are not being able to provide food for all our people.

I would also reiterate that this system, which is in violation of the National Population Policy, that is being adopted by many States, that the poor will be denied access to the Public Distribution System if they have more than two children, is inhuman. It is violative of the Constitution. It affects women, who have no say in our society as to how many children they should have. Thank you, very much, Madam.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Madam, I should begin with saying that long, long back Karl Marx said that the world had been interpreted in different ways by different philosophers. Now, it is important to work out how we change it. I am saying this because this perennial problem has been discussed a number of times in this House also and so many assurances were given from the Treasury Benches, but no respite; Nothing could be really worked out. And, today, also when the hon. Minister, in charge of these activities, gave a statement, which, I am sorry to say was full of statistics or, I should say statistical juggleries. Madam, as you know statistics are sometimes plus-minus, not hundred per cent correct. He has taken recourse to quoting some useless statistics which are not material at all, absolving himself from the obvious and ominous disastrous situation which a large number of population is facing in this country. And, Madam, I will try to confine myself, because the time at my disposal is not much, to the specific points. I must say that I do not hold the hon. Minister responsible for this present situation in isolation. The present situation, as my friends -- Mr. Vijayaraghavan and Shrimati Shabana Azmi -- have said, is a component which has obviously emerged because of the overall economic policies being pursued by the Government. And sometimes, I feel that Shri Sharad Yadav is rather a helpless person and he cannot help himself. However, in the statement, the hon. Minister has written in paragraph No.2 that the erstwhile PDS was criticised for its failure to serve the population living below the poverty line, for its urban bias, negligible coverage in the States with high concentration of rural population, and lack of transparent and accountable arrangements for delivery. Madam, I really do not understand whether the bias is against the poor. It is not a question of urban bias or rural bias. The bias is obviously a pro-rich bias.

I will just quote a very intriguing report that has been published in *the Hindu* only on the 28th April. The report says, "Delhi Police records provide a horrifying figure of 3040 unidentified bodies found during the year 2002." These deaths may or may not have been natural deaths, but most significantly no one came to claim the bodies during investigations or after them. This raises the suspicion that they could be only homeless people. The number of unidentified bodies recovered by the police has also been increasing steadily over the years. While in the year 2000, police recovered 2348 such bodies from the streets of Delhi, this number rose to 2407 in the year 2001. Thus, in less than two years there has been an increase of nearly 700. What I mean to say is that the people from the villages, from the rural areas, the poor people, they have no respite, no arrangements to live, even to subsist. Madam, I must say that I take pride as I join in congratulating Dr. Kasturirangan when INSAT-3A was launched from the French Papua New Guinea. There have been so many technological advances reported in telecommunication. So many advances have been recorded and people are appreciative of that, the House also appreciated that. But, the basic minimum necessity of living for a human being is, certainly, food. Food is a basic necessity for any living being, not only for human being, but any living being, and this Government has failed to give or assure that very security to the people. It does not matter whether there are 60 million tonnes or 100 million tonnes of foodgrains stacked in the godowns of the FCI. It doesn't matter at all. The food hasn't reached the poor people, because they have been stripped of their right to purchase. My friend, Shri A. Vijaya Raghavan has rightly said that the purchasing capacity of people has gone down to such an extent that they cannot simply afford to purchase the food articles.

Madam, I am also surprised that the hon. Minister expresses satisfaction when he says, in para 5 of his statement -- and I quote -- "The Central Issue Prices for wheat and rice for BPL families are Rs.4.15 per kg. and Rs.5.65 per kg. respectively, which is 48% of the economic cost. This has remained constant since 25.7.2000 and has not been increased since the last two and-a-half years". What a satisfaction he has tried to derive! A poor family cannot spend two rupees for wheat and rice, and the Government is trying to derive a peculiar satisfaction that it has not increased the price of wheat from Rs.4.15 per kg., and the price of rice from Rs.5.65 per kg.! This is something spectacular. What is the commitment? Madam, I was reminded that, in the financial year of 1981-82,

when the Government of India under the leadership of Shrimati Indira Gandhi, settled a loan of 5000 billion dollars of SDRs from the IMF, it was revealed by a very eminent journalist, Mr. N. Ram, that the Government had assured the IMF that it would reduce the subsidy in the public utility items, and that the PDS would be dismantled. Some people did not believe it? They started shouting, "Why are you trying to expose the Public Distribution System which is the mainstay of the people of this country, which is necessarily a very, very poor country, and one of the poorest countries of the world? Why are you unnecessarily compromising them for 5000 billion dollars of SDRs, which will be essentially used by the rich people?" Time and again, we have said that this amount has been used for some materials that are essentially being used by the rich people in this country. For serving the minority of this country, the very minuscule minority of this country, the interests of the majority have been very badly compromised. That is my objection. The interests of the majority cannot be compromised like this. And when, from the majority of this country, a number of starvation deaths are reported, the first thing the Government does is that it disclaims those starvation deaths. I will quote here, Madam, and I will not take much time of the House. There have been grim reports of what has been happening at different places. And the only response this evokes, whenever reports of starvation deaths appear in the print and electronic media, is that the Government disclaims it. The only response it evokes from the official circles is a prompt disclaimer. *(Time-bell)*. Madam, I am just concluding.

Madam, sometime back, the Labour Department or the Rural Department or some other Department, accepted that in Orissa -- I was simply stunned to know -- 47.15 per cent of the population were living Below the Poverty Line. This reveals that people are extremely vulnerable and poor, and they cannot simply afford to purchase this wheat or rice that is being allotted to them. My friend has very rightly said that the women are the worst sufferers in our country. The women from the poorer families are the worst sufferers because they have to ensure food for their children. After ensuring food for their children, they are left with hardly anything to eat. When women die of starvation deaths, the official circles say that they have died not because of hunger, but because of eating mango kernels. Yes, they are forced to eat kernels because they do not have the food at their disposal; and because a woman is the *annapurna* of the family; she has to feed everybody and she has to starve and die. This is the plight of

the women in the country. If the womenfolk cannot be looked after properly by this Government, I will say 'down with this Government' which cannot protect the interests of the women from the poorer families, which cannot protect the interests of the majority of this country. I will say hundreds of times down with this Government' not only in Parliament but also outside. The Government has forfeited its right to rule because of perpetual deaths due to starvation.

I also want to say that the determination of the BPL criteria is something absolutely faulty. Determination of BPL in every State, including in my State of West Bengal, is faulty. The determining of the BPL and APL by the officials is something peculiarly funny and faulty. Everywhere, the list of people living Below the Poverty Line is not being prepared with transparency and also with impunity. So, Madam, I would just request the intervention of the hon. Minister and also your intervention because, time and again, when we have asked for the intervention of the Ministers, it was of no avail. So, the only thing is that we can knock at your doors. Madam, kindly give a direction so that the Minister really intervenes to maintain transparency and correct this faulty system, and overall economic changes are effected so that the people of this country, the vast number of population of this country can be saved from ominous disaster. Thank you very much, Madam. (Ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I generally don't give directions, but I did mention that the food should be given to the people and children especially than just getting spoilt because after it is spoilt, it cannot be used as a fodder for animals also. Rather it can be used as a manure in the fields. So, it is better if it is consumed by human beings.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this subject. Madam, in his Budget Speech, the hon. Finance Minister talked about the "*Paanch* Priorities" like health, housing, education, employment and he also mentioned about the *Antyodaya* Anna Yojana for the affected poor people. This subsidised Scheme covers additional five million households. During the year 2003-04, 25 per cent of BPL households will be covered through the *Antyodaya* Anna Yojana. Here, I would like to say that the Public Distribution System was evolved as a major instrument of the Government's economic policy. It gives assurance about availability of foodgrains to the people at

lower prices and also increase the food security for the poor and the people living Below the Poverty Line.

Madam, the PDS is operated as a joint responsibility of the Central and the State Governments. The main intention of the PDS is to eradicate poverty; there should not be starvation deaths in the country and it serves as a safety net for the poor whose number is more than 330 million. But, practically the PDS remains strained for many reasons, though we have achieved a fairly good level in production of foodgrains. Food insecurity to the poor and the people living Below the Poverty Line still continues. In every lean season, hunger is chronic, all over the country. There is evidence of large size of unsold public food stocks which have been calculated as three or four times annual sales under the PDS in the last three years.

Madam, I would also like to make a mention of a Report which says that the increasing production is not sufficient to eradicate poverty or hunger. Merely the procurement and distribution arrangement by the public agency is not sufficient." On seeing this statistical Report, we find that every year the offtake is less than the allocation by the Government of India. What are the reasons for that? When the offtake fails to match with the procurement, stocks in the FCI pile up, which leads to exports, at subsidised rates, to other countries. It does not benefit the poor people of this country. Availability of foodgrains to the retail shops for distribution by the FCI at proper and appropriate time is a must. The Government should regularise the transportation. The foodgrains must reach the retail shops in proper and adequate time. If this is done, then only the State Governments and the retail shops can distribute foodgrains to the poor people. I must also mention here that that is not happening regularly. The transport is not regularised till now. So, the Government should take this into account. The off-take of the PDS channel is not necessarily equal to the supplies lifted by the consumers. So, we have to regularise this. Regarding distribution, between 27 and 29 per cent of cardholders do not draw rations because of non-availability of stocks, 34 per cent cardholders mention irregular supply, 45 per cent cardholders mention bad quality of foodgrains and 68 per cent cite cheating in weighing. So, these aspects must be taken care of. It clearly shows that the subsidised foodgrains have not reached the real beneficiaries. The food subsidy or consumption subsidy does not reach the real BPL or poor. It is not on account of the decision of the consumers but it is due to the failure on the supply side.

Another important point is that the inability of the BPL people to buy foodgrains is due to poor income flow. The PDS is not being supplemented with any income augmentation programme for the affected.

Now, I would like to mention the situation prevailing in Tamil Nadu. Tamil Nadu is normally a self-sufficient in food State and used to only supplement its own procurement with marginal stocks from the Food Corporation of India. This year Tamil Nadu has switched over to decentralised procurement on the Food Corporation of India account only as advocated by the Government of India and has no stocks of its own. The local procurement has been nil in the first crop and very low in the second crop due to drought and non-release of the Cauvery water to Tamil Nadu. So, the State has to draw up only from the Food Corporation of India supplies for the Public Distribution System and other programmes like Sampoorna Grameen Rojgar Yojana, etc. The allotments by the Government of India to Tamil Nadu every month are adequate, but physical availability of the Food Corporation of India godowns is only 60 per cent of that. The foodgrains in those are not 100 per cent as allocated by the Government of India. The FCI is mainly supplying the boiled rice from its godowns in the South which we can use in most of our Public Distribution System. We still need 50,000 tonnes at least of raw rice. *(Time-bell)* Only one minute, Madam.

Another important point is that the FCI stocks in Southern godowns are badly depleted and will be exhausted by Tamil Nadu in two months time. The FCI's stocks are elsewhere in Punjab and their movement has never exceeded 50,000 tonnes. We need more allocations for Tamil Nadu. The Government of Tamil Nadu is successfully implementing the Noon Meal scheme for a long time without any failure. Now, the Government of Tamil Nadu is in a position to protect the affected farmers, landless agriculturists in spite of the drought situation is prevailing in Tamil Nadu. The State Government is providing 30 kg. rice free of cost to the affected people. We are implementing the Annadhanam Scheme for the poor public in 163 temples. The Government is providing free noon meals to the affected poor people. The Government of Tamil Nadu is implementing and helping the poor who are living Below the Poverty Line.

Finally, I would like to mention here that the food subsidy has increased enormously. Today, it stands at Rs. 48,000 crores. This is of

great concern in the existing financial scenario. We must keep it under control. Only then we can push the economy upwards. It has been reported that food stock to the extent of 1.42 lakh tonnes is damaged and is not fit for human consumption. This should also be looked into and the Government should take steps to reduce the losses and see that the foodgrains are reached to the needy. So, it is better to have an affective TPDS which helps in sending the foodgrains to the vulnerable and downtrodden people. Thank you.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Thank you Madam Deputy Chairman for giving me this opportunity to participate in this discussion on an important subject. There is an urgent need to streamline the distribution network. There is an urgent need to strictly monitor the overall distribution network meticulously and see that the foodgrains reach the targeted people. This is not my view. This is personally admitted by the hon. Prime Minister in this very august House during the Question Hour. He said and I quote, "The country's Public Distribution System has failed to identify the poor and provide the grains to the needy." The hon. Prime Minister during the Question Hour, again, in this very House, on Thursday, said that he was ready to convene an All Party meeting on this issue and would like to have suggestions from the Members of Parliament to get over the contradiction of 'full godowns' and 'starvation deaths' in the country. Madam, hon. Chairman of the Rajya Sabha also commented on the issue of starvation deaths in the country. I request the hon. Minister to convene an All Party meeting with the State Chief Ministers to discuss the issues and take measures to strengthen the PDS and make available foodgrains to the needy. So, the time has come to take effective steps to streamline the PDS and make available foodgrains to the needy. The other point is, we have 325 million BPL and 50 million poorest of the poor people in the country. And, according to the World Bank's poverty line estimates, India is home to the largest number of poor whose per capita income is less than a dollar per day. The hon. Minister should seriously look into it.

Now, Sir, we have bumper crops and our production is going up by leaps and bounds. To name a few, in 1992-93 the production of rice was 728.6 lakh tonnes and in 2001-02 the production was 907 lakh tonnes; the production of wheat during 1992-93 was 572 tonnes and in 2001-02, it has risen to 735 lakh tonnes; the production of pulses was 128.2 lakh tones in 1992-93 and in 2001-02, it has gone up to 138 lakh tonnes. And, look at

the procurement by the Government. Against the production of 907 lakh tonnes of rice, the Government procured just 194 lakh tonnes and against 735 lakh tonnes production of wheat, the Government procured only 206 lakh tones. If this is our procurement policy, one can imagine the plight of the farmers. So, I demand that the Ministry should take all possible steps to increase it, which, I am sure, will help the farmer a lot.

Another point is, I appreciate the programmes such as Antyodaya Anna Yojna and Annapoorna Anna Yojna initiated by the hon. Prime Minister. These schemes will benefit the poor. The Government is, initially, facing problems in providing this to the poor people, widows and people who left their families. These people are all covered under the figure of 50 lakh BPL families. My next point is about the methodology that is being adopted in identifying the BPL families. You can't take out the families from the list of BPL family, if they are getting two square meals a day. I think, this would be wrong. The Government of Andhra Pradesh is giving gas connections to the poorest of the poor under the Deepam Scheme. This does not mean that those people have come under the higher income category. So, I request the hon. Minister to have a fresh look at the criteria fixed for BPL family. It should be suitably increased in view of inflation. It will help the poorest of the poor. Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister as to why the BPL families are not being identified under the Targeted PDS Scheme introduced three years ago. I want to say that a comprehensive list of BPL families covered under the Targeted PDS Scheme should be prepared immediately. I also request the hon. Minister to see that the purchasing power of the poorest of the poor is increased. They should be able to purchase, at least, foodgrains from the fair price shops.

The Government of India issued a PDS Control Order, which provides stringent punishment for PDS fraud, and which brings into focus the phenomenon of pilferage that is taking place. I request the hon. Minister to implement these orders strictly and effectively. I would like to know from the hon. Minister as to how many such cases have been registered since the issue of this Order, and what action the Government has taken against the culprits.

I would also like to know from the hon. Minister the major recommendations made by the high level Committee on Long-Term Grain Policy, which was set up in 2000, and which submitted its Report in July,

2002. What action has the Government of India taken on those recommendations?

Madam, lastly, I want to appeal to the Government to allocate more foodgrains to the drought-affected States. In Andhra Pradesh, out of 11,400 mandals, 1100 mandals are affected by drought. So, I request the Government of India to allot more foodgrains to the States. Thank you, Madam.

उपसभापति : सिंहल साहब, प्वाईंटेड बोलिएगा।

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): Madam, thank you very much for allowing me to express my views on this very important topic brought by Mr. Suresh Pachouri. It is a thing which affects the entire population of this country, especially, the poor people, and it is a very serious matter. At the outset, I would like to state that in the Minister's own statement, the responsibilities of the State Governments and the Central Government have been clearly defined. The Central Government is responsible for the procurement and supply of the foodgrains to the States. The responsibility of identifying the target people, giving them ration cards, and ensuring proper distribution is, exclusively, of the State. So, if there is trouble in the distribution, it will be wrong to come about and tell the Central Government that things are not in a happy state. There is the question of accountability, and accountability must be attached to the person who has been made responsible for it. Madam, that is point number one. In this respect, it will be the Government of India's failure if any State had sent in its demand, and that demand has not been met. Then, it is the Government of India's failure, and I would like to know from the hon. Minister how many complaints of such cases have come from the States saying that they have been short supplied in respect of the foodgrains that were to be given to them. Now, there has been a lot of talk about inedible foodgrains being supplied; sub-standard foodgrains. Now, the representatives of the State Governments, when they collect the foodgrains, they inspect them, and, thereafter, they carry them if they are found good, otherwise, they don't carry them. Now, the question is, if any State finds that the food being supplied is sub-standard, the person who collected those foodgrains, in case that has been collected from the FCI godowns, should be placed under suspension and accountability made about it. If it has been changed at some intermediary level, then, in the

distribution system, whoever is responsible should be made accountable. But the trouble is that in this game, nobody is accountable. Everything is going on, but nobody is being held accountable. That is where the malaise is. I would like to know from the hon. Minister how many State Government officials have been punished for taking away sub standard foodgrains from FCI or for allowing the supply of sub standard foodgrains to the targeted people. These statements shall have to be brought from the State Governments. We would like the House to be informed about them.

Madam, the trouble is that the fair price shops are given to the favourites of the political party in the State. And, because they have a political clout behind them, they very daringly indulge in all kinds of irregularities, sure enough, they are not going to be punished for what they are doing. They were appointed, in the first instance, because of their political connections. If this is snapped and the fair price shops are given to persons who are qualified to run them, those persons are picked up by lots without caring for anybody's connections with anybody, then, perhaps, we might end up with certain efficiency in the handling of fair price shops, or, in the way these fair price shops are being run.

Madam, I would also like the hon. Minister to find out from the State Governments the number of complaints that have been received in respect of the fair price shops, the number of officials who have been punished by the State Governments and the nature of punishment, etc., because under the new Act, which is for the PDS, very drastic punishments have been envisaged. If they are not being used, then, the fault lies with the State Governments.

Madam, one point was made by Mr. Raghavan that people just don't have money to buy those foodgrains. The foodgrains are allotted as per the targetted people. Supposing 100 people are to be fed, and 10 people are unable to even buy that food, then, that amount of food will be left behind. It will not be picked up. Has any State Government returned those foodgrains to the Central Government, as unlifted by the poor people who have no capacity to buy? If not, have the State Governments not embezzled those foodgrains? Has any Member of Parliament raised the question why the State Governments are embezzling? Madam, I was shocked to learn that in certain States the foodgrains that are sent from here are retained and when the time comes for procurement, the same

foodgrains are recycled as procured. Now, this is a, thoroughly, corrupt activity in which the State Government themselves are indulging, but like all corruptions, it is impossible to prove. But, everybody knows what is happening and hence this stink comes up.

Madam, my last point is, Mr. Pachouri talked about a lot of rhetoric. The Government doesn't indulge in rhetoric. They have to give a policy statement on what they intend to do. But, a lot of rhetoric was, definitely, indulged in by the hon. Member, Mr. Pachouri. I would, now, suggest that instead of rhetoric, all of us should pick up any sample block, go personally, check up in at least 20 fair price shops the nominations of the people who were picked up as the target people, how many were justifiably picked up, how many were wrongly picked up; we should do physical verification of at least 10 fair price shops, and their beneficiaries. If we MPs could do it in the field, it will be a very big service in improving the entire Public Distribution System. Are the MPs willing to take it? I am willing. If we can do this field service for the country, the PDS will, definitely, improve. This is the last point, Madam. Thank you.

श्री शरद यादव : उपसभापति महोदया, आज का जो कॉलिंग अटेंशन था, यह बहुत मौके पर भी आया और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं यह मानता हूं कि देश के सामने और हमारे सामने निरंतर बरसों से यह चुनौती रही है कि देश में गरीबों को लक्ष्य करके हमने जो कई तरह की वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, गरीबों को भोजन देने के लिए जो कई तरह की स्कीम्स चलाई हैं, वे उन तक पहुंचें। निश्चित तौर पर आज माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में बहुत दिलचस्पी से हिस्सा लिया जिसकी शुरुआत पचौरी जी ने की थी। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता की गाढ़ी कमाई के लिए, गरीबों की मदद के लिए हमने जो काम शुरू किया है, वह काम जमीन तक सौ फीसदी नहीं जा रहा है। मैं पचौरी साहब से लेकर सिंहल साहब तक, सभी से कहना चाहता हूं कि कोई अकेली हमारी सरकार नहीं है, पहले भी जो सरकारें यहां रही हैं, इस मामले में साफ-साफ बहस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के आईन में जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? किसकी क्या जिम्मेदारी है? जिसकी जिम्मेदारी और जिसका काम है, यदि वह फिक्स हो जाएगा, उसकी पहचान हम कर पाएंगे तो फिर राष्ट्र को और बीमारी को सुधारने का काम हो सकता है।

मैडम, जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, पहले यहां टास्क फोर्स नहीं था, हमने टास्क फोर्स बनाया। मैडम, आपने चिंता व्यक्त की चूहों के बारे में लेकिन वे एक्चुअल चूहे नहीं हैं। दो पैर वाले चूहे इसमें ज्यादा कमाल करते हैं लेकिन आज तो पूरे देश में कहीं हमारी सरकार है तो कहीं पचौरी जी की सरकार है।...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : हम भी यही कह रहे हैं कि सभी जगह अलग-अलग सरकारें हैं।

3.00 P.M.

श्री शरद यादव : अलग-अलग सरकारें हैं और मैं यह मानता हूं कि इस मौके पर इस चुनौती को यदि हम ठीक नहीं कर पाए तो फिर उसका आगे ठीक होना मुश्किल लगता है। इसमें जिम्मेदारी किसकी है और क्या है, इस पर साफ-साफ बहस होनी चाहिए। भारत सरकार ने, अकेले हमारी सरकार ने नहीं, जिसने भी एफ.सी.आई. का सिस्टम शुरू किया, यह व्यवस्था शुरू की, उसने इस देश के लिए एक बड़ी सेवा का काम किया है, इसलिए उसकी तरफ भी देखना चाहिए और एफ.सी.आई. पर एक दिन अलग से बहस करनी चाहिए। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि किसान जो उत्पादन करता है, उसकी फसल के समय दाम नीचे न चले जाएं, इसके लिए बाज़ार में जाकर हम खरीद करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। उस प्रोक्योरमेंट में जो अनाज हमारे पास आता है, वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर है, कम से कम दाम पर किसानों से हम अनाज खरीदते हैं। कुछ जगहों पर तो एफ.सी.आई.खरीदती है और आजकल हमने करीब आठ सूबों में डीसेंट्रलाइज़ प्रोक्योरमेंट करके रखा हुआ है। सुरेश पचौरी जी के सूबे में तो सरकार को पूरी तरह से छूट दे रखी है कि किसान को बचाने के लिए जितना चाहो उतना अनाज खरीदने का काम करो। पिछले साल उन्होंने किया भी था और इस साल भी वे कर रहे हैं। कई दिक्कतें हैं, जैसे आर.बी.आई. से क्रेडिट मिलना है, उन बातों का समाधान करने का काम भी चला हुआ है। भारत सरकार की, एफ.सी.आई. या फूड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए हम खरीद करते हैं। खरीद करने के बाद उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करके जो स्टॉक हमने रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा करना और चाहे वह नेशनल कैलेमिटी हो, चाहे ड्राउट हो या और कई तरह की चीज़ें हैं, किसी भी जगह उनको सहायता पहुंचाने के लिए अनाज भारत में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, हमारा बहुत बड़ा देश है। कब कौन सा संकट आ जाए, कब किस तरह की परिस्थिति बन जाए, इसलिए यह जो इंस्टीट्यूशन है, लोगों ने कहा कि हमारा पी.डी.एस. का जो नेटवर्क है, उसमें 7,75,000 फेयर प्राइस शॉपस हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क में कमी क्या है, यह अलग बहस है लेकिन निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी है स्टोर करना लेकिन उसमें दिक्कत है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि कितनी तरह के आपने ऐक्शन लिए, कितनी कार्यवाहियां की हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल ही जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार लिया, उसके बाद हमने 2,425 सरप्राइज़ चेकस करवाए । इसमें कुछ काम चला हुआ है, 55 लोगों पर हमने एक्शन ले लिया है और आगे कार्यवाही चली हुई है। मैं बाकी और सालों का विवरण नहीं देना चाहता। हमारी जिम्मेदारी स्टोर करना है, प्रक्योर कराना और मूवमेंट कराना है। सुरेश पचौरी जी ने कहा कि कुछ अनाज सड़ रहा है। मैडम, मैं आपके माध्यम से इनसे विनती के साथ कहना चाहता हूं कि देश में एक भी ऐसा सूबा नहीं है जहां से अब शिकायत आई हो। एफएक्यू यानी जो अच्छा गेहूं है, अच्छा फूडग्रेन है, वह नहीं गया हो, कहीं से शिकायत हो। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन का कोई भी मैम्बर मुझको बता दे कि फूडग्रेन में कोई कमी है। निश्चित तौर पर हमारे पास बढ़िया फूडग्रेन है, ठीक है। इंदिरा जी पहले का मामला उठा रही थीं। पहले ऐसा होता था कि सात साल, तीन साल, चार साल का अनाज पड़ा हुआ था। अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक साल और दो साल पुराना अनाज है और हमने पूरे के पूरे अनाज को साफ करवाने का काम किया हुआ है। सिर्फ दो साल पुराना है, कुछ छोटी सी क्वांटेटी तीन साल वाली है। लेकिन सात साल पुराने, छः साल पुराने और पांच साल पुराने...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी : आपकी सरकार के ही समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन बैंच का डिसिजन दिया है, उसका ऑब्जर्वेशन है कि जो एफसीआई के गोदाम हैं उसमें अनाज सड़ा पड़ा है। आपकी सरकार के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन है।

श्री शरद यादव : मैडम, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कोर्ट ने क्या कहा, उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं तो जिंदा आदमी सबूत के साथ खड़ा हूं कि कोई आदमी बताए। कोई कहे कि कहां से सड़ा पड़ा है, यह जरा बता दे।...**(व्यवधान)**...

श्री के. रहमान खान (कर्णाटक) : कोर्ट में तो आपके लोगों ने पैरवी की होगी, बताया होगा।

श्री शरद यादव : मैं कह रहा हूं, आप से निवेदन कर रहा हूं कि जो अनाज सड़ा हुआ है उसका आंकड़ा दे सकता हूं कि एक लाख कुछ खराब अनाज है और 625 लाख मीट्रिक टन का हम प्रक्योरमेंट करते हैं। यदि मान लो हम यहां से 60 फीट की ऊंचाई वाला प्रक्योरमेंट बनाएं तो यहां से लेकर आगरा तक नहीं बनेगा। जब हम इतने बड़े फूडग्रेन का आपरेशन करते हैं तो जमीन पर लगने के कुछ हो जाता है। अभी बरसात हो गई और आप कहें कि इस गेहूं में थोड़ा सा पानी लग गया, वह मार खा जाए और उसे किसान ने इतनी मेहनत से पैदा किया है तो सरकार किस काम के लिए है। हमने पिछले साल व्हीट खरीदा था 90 लाख। पंजाब से लेकर पूरे देश में कहा गया कि फसल के समय बरसात हो गई है, गेहूं चमकहीन हो गया है। उस गेहूं में कोई कमी नहीं है। उसकी अच्छी सूजी बनती है, अच्छा मैदा बनता है सिर्फ उसका रंग चला जाता है। जब मैं पहले आया था तब वह पानी गिरा गेहूं जा रहा था। मैंने उसको रोका और कहा कि यह दुनिया के बाजार में बिक रहा है। इसकी सूजी बनती है। यहां की फ्लोर मिल्स हैं, उसको सिर्फ उसके लिए रिजर्व कर दिया। उसकी दुनिया के बाजार में और हमारे देश में इतनी बड़ी डिमांड है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता । मैं मानता हूं कि हमारी सीधी-सीधी जिम्मेदारी है। हम जो स्टोर कर रहे हैं, प्रक्योर कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको अंजाम देने का काम हम बखूबी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस मामले में हमारी जिम्मेदारी है। राज्य की जिम्मेदारी क्या है? मैं जब राज्य की जिम्मेदारी कहता हूं तो यह नहीं है कि मैं अपनी तरफ की सरकारों को बचा रहा हूं। मैं सब सरकारों का जिक्र कर रहा हूं। मैं ऑनेस्टली आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमने टास्क फोर्स बनाई है और सब जगह से रिपोर्ट आई है। हमने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व मध्य प्रदेश में पहुंचाया लेकिन किसी भी सरकार के जो हमारी टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दी है, उसको हमने पब्लिक नहीं किया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए।]

हमने वहां के चीफ मिनिस्टर को बुलाया और वहां के लोगों को बुलाकर बात करने का काम किया और जो गड़बड़ है, जो सारी चीजें हैं उनको सुधारने का काम किया। कामरेड बोल रहे थे। लेकिन बंगाल में पहले मामला अच्छा था अब बिगड़ गया है। उपसभाध्यक्ष जी, जो

फेअर प्राइस शॉप्स हैं, उन में करप्शन है, वह महीने में दो दिन खुलती हैं, चार दिन खुलती हैं, 6 दिन खुलती हैं । उन में खराबी आई है । हम ने उन में वाएबिलिटी लाने के लिए सर्वप्रिय योजना बनाई जिस में 12 आयटम्स हैं जो कि मोटे-मोटे काम में आते हैं । मैं ने उस बारे में दो बार मुख्य मंत्रियों को लिखा है और मैं परस्यू कर रहा हूं कि वे हमारी सर्वप्रिय योजना के आयटम्स जो हमारा आई0सी0सी0एफ0 है, उस के जरिए ले ले तो उस की वाएबिलिटी बन सकती है । उसमे इस समय ऐसी स्थिति आई है कि फेयर प्राइस शाप वाले का पूरा पेट नहीं भर पाता । हमें उस समस्या को एड्रेस करना पड़ेगा ।

महोदय, अभी विरुम्मी जी बता रहे थे कि कहीं शराब बिक रही है, चरस बिक रहा है या गांजा बिक रहा है। अब उपसभाध्यक्ष जी, यदि फेअर प्राइस शॉप में कोई शराब बेच रहा है तो यह अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं यह कहूं कि शराब की जगह गांजा या चरस बेचने लगे। यह मेरे हाथ में नहीं है । यह तो जब चुनाव आएंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता देखेगी । महोदय, हमारे यहां जो फेअर प्राइस का नेटवर्क है, उस के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सब से बड़ा नेटवर्क है । आज हम पी0डी0एस0 में 24 हजार करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। उसको वर्ष 2000-2001 में 1200 करोड़ सब्सिडी मिलती थी, इस समय हम 24 हजार करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं । अब यह फूड ग्रेन बढ़ा होगा तभी तो यह सब्सिडी बढ़ी है । पिछले साल पी0डी0एस0 में उठान 48 फीसदी था जो कि इस साल 60 फीसदी हो गया है यानी उठान बढ़ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुला रहे हैं ?

श्री शरद यादव : महोदय, एक बैठक में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे जो कि पिछली 16 तारीख को बुलाई गई थी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप ने पत्र लिखा था कि चीफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी चाहिए ।

श्री शरद यादव : महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे । यह इसी महीने की 16 तारीख को तय हो गयी थी, लेकिन उस दिन छुट्टी हो गयी और सभी पार्टी के लोगों ने कहा कि यह समय ठीक नहीं है। अब वह मीटिंग जल्दी-से-जल्दी बुलाई जाएगी । मेरी आप से सहमति है और मैं ने प्रधान मंत्री जी से कहा है कि इस मामले को आगे तक ले जाना है । इसमें आल पार्टी मीटिंग कर ली जाय और उसमें सारे लोगों की सलाह ले ली जाय । इस काम को हमें आगे चुनौती की तरह मानना चाहिए। महोदय, देश के मेहनतकश लोगों ने बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन कर के हमारे पास रखा है । वह अनाज गरीब के पास जाए, यह चुनौती इस सदन की भी है, भारत सरकार की भी है और सूबे की सरकार की भी है । तो पहले अपोजीशन के लीडर्स के साथ बातचीत होगी। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्रियों के हाथ में ज्यादा सामर्थ्य है । अभी सिंहल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उन के हाथ में पूरे सिस्टम को ठीक करने की पूरी-की-पूरी एक्जैक्यूशन मशीन है और जब वह मशीन ठीक होगी, उन की दिक्कतों का विचार होगा और फेअर प्राइस शॉप वालों की दिक्कतों को हम

सूबो की सरकारों के साथ शेअर करेगे, तभी यह कार्य पूरे तौर पर अच्छे ढंग से चल सकेगा । महोदय, निश्चित तौर पर सूबों की सरकारों के साथ बात करना जरूरी है । हमारे पास कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है । मैं ने प्रधान मंत्री जी के साथ पहले भी उठाया है और मैं मानता हूं कि इस को यदि लॉजीकल एंड तक ले जाना है, इस चुनौती का पूरी तरह से मुकाबला करना है तो निश्चित तौर पर मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात करनी चाहिए । इसमें यह भी चुनौती होनी चाहिए कि इसमे हम गरीब के लिए कुछ कर नहीं पाते, वह तो अलग बात थी, लेकिन हमारे पास पूरी तरह से सारे साधन हैं । भारत सरकार ने एक्सचैकर में इतना पैसा एलोकेट किया है । हालांकि यह ठीक बात है कि वह उस गरीब के पेट में नही जा रहा है । उसमें कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन मैं यह भी नहीं मानता कि गरीब के पेट में कुछ भी नहीं जा रहा । हां, उसमें कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हम कैसे सुधारें यह विचार करना जरूरी है । इसे सुधारने मे एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम मैं नही करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सब के सहयोग से इस का रास्ता निकाला जाए । हम ने इस काम के लिए टास्क फोर्स बनाया है । उसको हम ने एक-एक जगह पहुंचाया और मुख्य मंत्रियों के साथ बात की है । उन से साफ-साफ कहा है कि आपकी यहां कमी है, आप इस कमी को दुरुस्त करिए और उसमें सुधार हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, आपको मालूम होगा, पिछले तीन महीने में किसी सूबे से कोई भूख से मौत की खबर नहीं आई। तो सुधार शुरू हुए हैं। राजस्थान में जो हालत थी, उसमें धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ है। लोग भी इस दिशा में जागे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यवस्था तब ठीक चलती है, जब लोग जागे हुए हो। कोई भी राजनीतिक पार्टियां, सरकारें, चाहे केन्द्र की हो या सूबों की हो, एमएलएज, एमपीज अगर ये सब मिलकर किसी सवाल को हल करने का काम करें तो निश्चित तौर पर उसमें सफल होते हैं और यह जो पीडीएस सिस्टम है, इसमे जो इतना बड़ा एलोकेशन है, यह लोगो तक जा सकता है। हां, इनमें डिफरेन्स हो सकता है। एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना जो हैं, इनमें कई तरह की कमी या कई तरह की चीजें या कई तरह के सुझाव हो सकते हैं, लेकिन उन सुझावों पर भी विचार हो सकता है। हम लोग जो इसमें इतनी बड़ी सबसिडी दे रहे हैं, यह सबसिडी लोगों तक नहीं जा रही है, जिनके लिए हमने एलोकेशन किया है, जिनके लिए हम इतनी बड़ी सबसिडी देने का काम कर रहे हैं उन तक जा नही पा रही है।

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : पूरा सिस्टम खराब है।

श्री शरद यादव : आपके त्रिपुरा में ठीक चल रहा है। कैसे आप कह सकते हैं सब जगह है।...**(व्यवधान)**... यह पीडीएस सिस्टम अगर खत्म हो जाए तो जीवन राय जी सबसे पहले आप यहां धरने पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि गरीबों के खिलाफ काम हुआ है। यह एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना है, जिन लोगों ने यह पीडीएस सिस्टम शुरू किया।...**(व्यवधान)**...

श्री जीवन राय : जो भाषण दिया है, मैं समझ पाया हूँ कि वह ठीक है, लेकिन सिस्टम खराब है।

श्री शरद यादव : सिस्टम तो खराब है, तब तो यह कालिंग अटेंशन है। सिस्टम खराब है निश्चित तौर पर, इसलिए यह बहस यहां है।

श्री के0 रहमान खान : यह टास्क फोर्स का कंपोजीशन क्या है?

श्री शरद यादव : इसमे हमारे यहां से लोग हैं, एफसीआई के अधिकारी होते हैं, मिनिस्टरी के अधिकारी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें हैं।

श्री के0 रहमान खान : स्टेट गवर्नमेंट से कोई नहीं है? स्टेट के रिप्रजेंटेटिव कोई हैं?

श्री शरद यादव : नही, इसमें स्टेट के नहीं हैं। वे स्टेट के लोगों से तो बात करते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट होती है।

महोदय, जैसा अभी कहा गया, इतना अंधेरा नहीं है। जो इतना ज्यादा यहां कहा गया, वैसा हाल नहीं है। पीडीएस में वर्ष 2001-2002 में जो 118 लाख टन था, 2001-2002 में यह 136 लाख टन हो गया और वर्ष 2002-2003 में यह 188 लाख टन हो गया। बीपीएल में जो है, वह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2000-2001 में 97 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 2001-2002 मे 100 मीट्रिक लाख टन हो गया और वर्ष 2002-2003 मे 160 मीट्रिक लाख टन हो गया। तो यह बढ़ा है 60 लाख, 70 लाख मीट्रिक टन। यह सिस्टम जो है, आगे जा रहा है। इस सिस्टम में डायवर्शन है, रीसाइकलिंग है। अपनी तरफ से मैंने आपसे निवेदन किया कि एक बार एफसीआई पर बहस हो जाए, उसकी अच्छाइयों पर बहस हो जाए, उसकी खराबियों पर बहस हो जाए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में यहां बात साफ हो जाए।

महोदय, अंत्योदय अन्न योजना, यह वर्ष 2001 में शुरू की गई थी और यह 80 परसेंट सफल योजना है। पूरे देश के सब सूबों में दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया है। मैं मानता हूँ कि जो गरीब है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। देश में जो अति-निर्धन लोग हैं, जो 6 करोड़ 5 लाख लोग बीपीएल के अंदर आते हैं, उसमे से एक करोड़ लोग रखे गए थे, अब दो करोड़ लोगों को रखा गया है। यह संख्या बढ़ी है। जो अति निर्धन लोग हैं, अगर सौ लोग बीपीएल मे आते हैं तो उनमें से 25 लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। इसमें तकरीबन एक हजार करोड़ रुपए की भारत सरकार की तरफ से सबसिडी दी जा रही है और जो निर्धन लोग हैं, जैसे कोई कोढ़ी है, कोई विधवा है, कोई काम करने लायक नही है, कोई ज्यादा उम्र वाला है, जिसके परिवार में कुछ नहीं है, ऐसे लोग जो काम नही कर सकते, ऐसे लोगों को इसमे रखने का काम हुआ है। वर्ष 2001-2002 में इनके लिए जो 17 लाख टन अनाज रखा था इस साल यह 35 लाख टन हो जाएगा। यानि ये योजनाएं काफी सफल हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से मेरी बात हुई तो वह बोले कि इसकी सीमा बढ़ानी चाहिए।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

लोगो ने कहा कि यह अच्छी स्कीम है, इसको आप बढ़ाइए।

श्री एकनाथ के. ठाकुर (महाराष्ट्र) : बिलो पोवर्टी लाइन रहने वाले लोग 26 करोड़ हैं या 6 करोड़ हैं?

श्री शरद यादव : मैंने कहा कि बिलो पोवर्टी लाइन 6 करोड़ फैमिलीज़ हैं। जब टी.पी.डी.एस. स्कीम शुरू हुई थी, उस समय इसके तहत 35 लाख टन अनाज का वितरण किया जाता था। अब इसे बढ़ाकर 160 लाख टन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यह योजना आगे बढ़ रही है और सफल हो रही है।

महोदया, आपने मिड-डे-मील का सवाल उठाया था। मैं मानता हूं कि मिड-डे-मील योजना मे कई जगह गड़बड़ है और इस तरह की खबरें आई हैं। चाहे वह मीडिया हो, चाहे वे इस सदन के सदस्य हो, चाहे यह इस देश की जनता हो, वे सौ फीसदी जगे हुए हैं और सच्चाई और अच्छाई को जानने का काम करते हैं। मिड-डे-मील में वर्ष 2001 में 25 लाख टन अनाज दिया गया था, वर्ष 2001-2002 मे 28 लाख टन और वर्ष 2002-2003 में 28 लाख टन अनाज दिया गया ताकि स्कूलों मे पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दिन का भोजन मिल सके।

महोदया, बहुत से सदस्यों ने कहा कि हमारे पास बफर स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया है। हमने इसे घटाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे पास पिछले साल 545 लाख टन बफर स्टॉक था, इस साल वह घटकर 328 लाख टन रह गया है। इसमें जो बिलो पोवर्टी लाइन रहने वाले लोग हैं, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, मिड-डे-मील के अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं, जे.आर.वाई. है, उनको हमने यह अनाज दिया है। अभी जो 14 सूबों में अकाल पड़ा है, उसमें हमने 90 लाख टन अनाज बिना पैसे लिए दिया है। हमने आंध्र प्रदेश में 16 लाख टन अनाज दिया है, छत्तीसगढ़ में 4 लाख 43 हजार टन अनाज दिया है, गुजरात में एक लाख 48 हजार टन अनाज दिया है, हरियाणा में 2.5 लाख टन अनाज दिया है, हिमाचल प्रदेश मे 1.0 लाख टन अनाज दिया है, झारखंड मे 0.40 लाख टन अनाज दिया है, कर्नाटक 6.65 लाख टन अनाज दिया है।

उपसभापति : आप ऐसा करिए कि ये सभी आंकड़े आप सदन के पटल पर रख दीजिए, सभी मेंबर्स ले लेंगे, बहुत से लोग अभी यहां हैं भी नहीं।

श्री शरद यादव : महोदया, पचौरी जी पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एस.जे.आर.वाई. मे 7 लाख 10 हजार टन अनाज हम आवंटित कर चुके हैं और आज शाम को टास्क-फोर्स की बैठक होने वाली है, वहां से और भी मांग आई है, उस पर हम आज शाम को विचार करने वाले हैं।

श्री सुरेश पचौरी : मंत्री जी, 5-6 गांवों मे एक राशन की दुकान हो और ग्रेन बैंक बनाया जाए, क्या यह प्रपोज़ल मध्य प्रदेश से आया है? मैडम, मैंने जो प्वाइंट्स उठाए हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मैं बड़े अदब के साथ उनका उत्तर चाहता हूं।

श्री शरद यादव : महोदया, यह पी.डी.एस. सिस्टम को ठीक करने की हमारी जो मंशा है, उसमें मध्य प्रदेश का जो प्रपोज़ल है, हम गंभीरता से उस पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर फेयर प्राइस शॉप वाला जो सिस्टम है, उसको सुधारना और ठीक करना बहुत

आवश्यक है। आपका जो सुझाव है, मैं उसको एक्ज़ामिन करा लूंगा और यदि संभव होगा तो उसे हम अवश्य मान लेंगे।

महोदया, मैं बता रहा था कि राजस्थान में 29 लाख मीट्रिक टन अनाज हमने दिया है। यानी पूरे देश मे सबसे ज्यादा अनाज हमने वहां दिया है क्योंकि वहां पिछले 4 सालों से सूखा पड़ रहा है। वहां कष्ट है और भारत सरकार ने उस कष्ट मे उनके साथ खड़े रहने का काम किया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां कष्ट नहीं है। वहां हमने 29 लाख टन अनाज दिया, जो पहले कभी नही दिया गया।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : मांगा कितना और कितना दिया गया, यह बता दीजिए। जितनी आवश्यकता है, उतना दीजिए और सड़ा-गला मत दीजिए, ये दो बातें आप देख लीजिए।

श्री शरद यादव : ऐसा है कि अगर आप उपसभापति जी से कहें कि आप मुझे दिन भर बोलने का मौका दे दें तो वे तो नहीं बोलने देंगी। इसी तरह हमारी जितनी चादर है, हम उतने ही पांव फैलाएंगे।

श्री संतोष बागड़ोदिया : एलाऊ करना या न करना, उनका काम है और सवाल पूछना मेरा काम है। मैंने अपना काम किया है, आप अपना काम करिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : अगर सड़ा-गला अनाज पहुंच रहा है तो वह स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जवाबदेही है, भारत सरकार की नहीं है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : मंत्री जी को यह बात मालूम है।

श्री शरद यादव : मैडम, मैं एक और बात आपसे कहूंगा पिछले साल की जो आफ-टेक पोजिशन है, मुझे एक वह काम मिला है जो अंधेरे की तरफ ही है, लेकिन जो उजाला है उसकी तरफ भी मैं कहना चाहता हूं, उस तरफ भी दिखाना चाहता हूं, आपका थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बात पूरी हो। पिछले साल फूडग्रेन का 270 लाख टन का आफ-टेक हुआ था, इस बार 435 लाख टन, बढ़ोत्तरी हुई है 165 प्रतिशत।...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to take up the Electricity Bill at 3.30 p.m.. Please let him reply. No comments...*(Interruptions)*... No interference please.

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala) : We want only explanation, no interference.

श्री शरद यादव : पी0डी0एस0 में पिछले साल 125 लाख मैट्रिक टन आफ-टेक हुआ था और इस साल 174 लाख मैट्रिक टन, यानी इसमें 39 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जो अदर दैन वेलफेयर स्कीम हैं -मिड-डे मील्स स्कीम हैं और जो एस0सी0, एस0टी0 के विद्यार्थी हैं उनको होस्टल में अनाज -भोजन देना है उसमें पिछले साल उठान 55 लाख टन हुआ था और इस साल 96 लाख टन, यानी इस पर 41 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। जो एक्सपोर्ट है, पिछले साल 40 लाख टन था, इस साल बढ़ करके 111 लाख टन हुआ। तकरीबन 71 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई, यानी जो हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक था उसको ठीक से इस्तेमाल करने का काम भी किया है, उसको ठीक से लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया है और फिर यह कहा जा रहा है कि यह पी0डी0एस0 सिस्टम का जो चित्र खींचा जा रहा है वह चित्र भी ठीक नहीं है, खराबी है उसमें तथा उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन हिन्दुस्तान के गरीब का एक बहुत बड़ा सहारा है। कई सूबों में बहुत अच्छा काम चल रहा है, कई सूबों में ऐसा काम हो रहा है, कई सूबों में कई स्कीम ठीक चल रही हैं। देश इस सारे अनाज को अपने यहां इस्तेमाल कर सके उसके लिए जरूरी है जो हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे किस तरह की कमी हो लेकिन वह कमी तब दूर होगी, जब अकेले सूबे की सरकार नहीं, जो लोग यहां बोल रहे हैं, मैं खड़े होकर यहां जवाब दे रहा हूं, यदि राजनीतिक पार्टियां, सरकारें कमर कस ले और चूंकि यह गरीबों का काम है, हिन्दुस्तान मे अनाज की कोई कमी नहीं है, उत्पादन घटा है वह मैं मानता हूं, यानी जो श्री विरुम्भी जी पूछ रहे थे, मैं आंकड़े बतला दूं कि...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आप उनको आंकड़े दे दीजिएगा।

श्री शरद यादव : ज्यादा लम्बे नहीं हैं।

उपसभापति : क्योंकि 5 मिनट हैं खाली।

श्री शरद यादव : 2001 मे 877 लाख टन राइस हुआ और 696 लाख टन गेहूं था। 2001-2002 में 930 लाख टन राइस था और 718 लाख टन व्हीट था। इस साल वह घट करके 2002-2003 मे 777 लाख टन राइस और 688 लाख टन व्हीट है। जो उत्पादन है उसमे कमी आई है, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। लेकिन मैं अंत में आपसे एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो पी0डी0एस0 का पूरा का पूरा जिस पर यह कॉलिंग अटेंशन है उसमें समस्याएं हैं और जैसे हमेशा निरन्तर हमारा तन रोज गन्दा होता है हम रोज नहाते हैं, फिर रोज हम खाना खाते हैं और फिर नए सिरे से नया स्वरूप लेते हैं, यानी आदमी की जिंदगी में कुछ लम्बे समय के सवाल होते हैं, कुछ तात्कालिक सवाल होते हैं, कुछ क्षण-क्षण मे सांस लेने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह व्यवस्था है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके ऊपर हम अवेक्न होकर वाच नही रखेंगे तो वह कोई तानाशाही नहीं, वह कोई कम्युनिज्म नहीं कि एक सिस्टम के साथ एक पार्टी की तानाशाही चलती रहे, यहां लोकतंत्र है, यह डेमोक्रेसी है।

SHRI V.V. RAGHAVAN : Without giving food, how can you talk about democracy?

उपसभापति : आप उनकी तरफ मत देखिए।

श्री शरद यादव : मैं यही निवेदन चाहता हूं कि ...

श्री जीवन राय : सोशल जस्टिस पार्टी और मजदूर मारे जा रहे हैं।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN : People are dying in villages, and he is taking it in a different way. The Minister is not at all serious about the situation.

उपसभापति : मंत्री जी, आप इधर देखकर बोलिए। आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री शरद यादव : मैडम, अंत मे मैं ज्यादा लम्बा नही करना चाहता और केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी सारी विरोधी पार्टियों के लोगों से बात करेगी। जिन माननीय सदस्यो ने यहां सलाह दी है और सारी बाते रखी हैं, सुझाव दिये हैं, - टास्क फोर्स के जरिए यहां सदन के जरिए, और लोगों के जरिए - हमारे मंत्रालय मे जो खामियां हैं, उस संबंध में प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग जल्दी बुलाएंगे। इस पीडीएस सिस्टम को बिल्कुल ठीक करने के लिए, इसमे जो बिगाड़ हुआ है, उसको ठीक करने के लिए और जो गरीब हैं, जैसा माननीय सदस्यगणो ने कहा है कि इसमे डायवर्शन हो रहा है, इसमे रीसाइकिल हो रहा है और जैसा गया सिह जी कह रहे थे कि गांव गांव में ऐसे जबरा लोग हैं जो पीडीएस की दुकान हैं, उसको हाथ मे पकड़ लेते हैं, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए - पहला काम है ठीक से इंतजाम करना - इंतजाम को ठीक से जमीन पर ले जाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग होगी और उसके बाद जैसा सुरेश पंचौरी जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय मामला हमारे हिन्दुस्तान मे केन्द्रीय सरकार और सूबो की सरकार, दोनो के सहयोग से आगे बढ़ सकता है। ये दोनों पंख नही लगेंगे तो आकाश मे पक्षी नही उड़ेगा। मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्यो का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होने इसमे बहुत कंस्ट्रक्टिव सजैशंस दिये हैं। कइयो ने डिबेट को स्तर तक ले जाने का काम किया है। उनकी चिंता वाजिब है और मैं उनकी चिंता के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं और जितना सुधार हो सकता है, जो काम हो सकता है, वह किया जाएगा। यह एक चुनौती है कि देश मे कोई भूखा न रहे, इसका इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का काम करेगी।

उपसभापति : मंत्री जी, आप यह काम कर दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर और चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर इसका कोई समाधान निकालेंगे, उसका कार्यान्वयन जल्दी हो। ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग अगले साल बुलाएं। इसी साल मे इस सैशन के बीच मे बुला ले तो अच्छा है। इस प्रकार का आश्वासन आप दे दीजिए।

श्री शरद यादव : महोदया, जो आपका हुक्म है, कल शाम को भी मेरी बात उनसे हुई थी और उन्होने मुझसे कहा था कि आप सदन मे यह कह दीजिए कि जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे।

उपसभापति : जल्दी की कोई सीमा मुकर्रर कर दीजिए।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यह मामला राज्य सरकारो से संबंधित है। स्वयं माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा है और अभी भी कहा है कि इनकी इच्छा है कि चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग इस संबंध मे बुलाएं। चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग आप कब तक बुलाएंगे? आपको आसंदी से निर्देशन हुआ है कि जल्दी से जल्दी आप मीटिंग बुलाएं।

श्री शरद यादव : मैडम, जैसा अभी आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस सदन मे जो कहा था, उसको जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी कराने की मेरी कोशिश होगी। चीफ मिनिस्टर्स का जहां तक सवाल है, उस संबंध मे मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं फिर से उनके साथ इस सवाल को उठाऊंगा लेकिन बुलाने का काम तो वे ही करेंगे तब ही होगा।

उपसभापति : आप भी बुला सकते हैं।

श्री शरद यादव : मैं प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओ से अवगत कराउंगा। माननीय चेयर की भावना भी यह है कि इस मामले में गंभीरता से विचार करें।

उपसभापति : इस मामले का समाधान होना चाहिए क्योंकि बार-बार इस हाउस में इस बारे मे चर्चा होती है और कोई नतीजा न निकले, हम वही के वही वही जवाब दें, आप वह जवाब देने के लिए मजबूर हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट की शिकायतें हैं, वह अगर आप बैठकर सुधार ले। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, फूड मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर बात करे तो मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर नीयत साफ हो तो नीतियां बन ही जाएंगी। इसके साथ ही यह डिसकशन समाप्त हुआ। Now, we will take up the Electricity Bill, 2003, and, if possible, we will finish it today.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Madam, it is an important Bill...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, the time allotted is four hours.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will sit for four hours or even five hours. If you sit, I will sit. If you don't sit, still, I will sit.

SHRI JIBON ROY: Madam, before the Bill is taken up for consideration, आपसे एक निवेदन है।

उपसभापति : हां, आप निवेदन कर लीजिए। मोशन तो मूव हो जाने दीजिए।

SHRI JIBON ROY:The Standing Committee scrutinised this Bill in detail, and it made a number of recommendations, unanimous recommendations; I am not talking about the note of dissent. But the Government ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we are delaying more.

SHRI JIBON ROY : The Government has not incorporated more than 80 per cent of the unanimous recommendations. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak. Your name is there. ...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY : No. ...*(Interruptions)*... I want to know, through you, from the Minister the reason behind it. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not, now. ...*(Interruptions)*... Let the Minister move the motion.

SHRI JIBON ROY : Why are unanimous recommendations not accepted?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I gave a commitment to the House that at 3.30 p.m. I would start it, and it is exactly 3.30 p.m. Now, the Minister may move the motion.

THE ELECTRICITY BILL, 2003

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : उपसभापति महोदया, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि -

> "विद्युत के उत्पादन, प्रेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण, और सभी क्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय के सहायक उपाय करने, विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण, साहायकियों के बारे में स्पष्ट नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरण के अनुरूप नीतियो के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगो का गठन और अपील अधिकरण की स्थापना से